

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 27 अगस्त, 2019/05 भाद्रपद, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अगस्त, 2019

1. कृषि :

संख्या श्रम (ए)4—2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि कृषि के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2019 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—2/2018—तारीख 24—04—2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 31–05–2019 को हुई थी जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01–04–2019 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2019 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :——

अकुशल कर्मकार: 250.00 / - रुपए प्रतिदिन या 7,500.00 / - रुपए प्रतिमास

टिप्पणी:

- 1. समान और समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वगीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. हिमाचल प्रदेश जन—जातीय क्षेत्रों में, मज़दूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी / वृद्धि लागू होगी।

अकुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी :

अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उपजीवि का जन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक होता है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/— अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अगस्त, 2019

2. सडकों का निर्माण या रख–रखाव या निर्माण संक्रियाएं पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (क्रशिंग) :

संख्या श्रम (ए) 4—2/2018.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि सडकों का निर्माण या रख—रखाव या निर्माण संक्रियाओं पत्थर तुडान और पत्थर पिसाई/(क्रशिंग) के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2019 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—2 / 2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 31–05–2019 को हुई थी जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01–04–2019 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2019 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :--

_ (
कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित	मजदूरी
	दैनिक	मासिक
अकुशल कर्मकार:		
भिशती / चिमनी वलीनर / चौकीदार / डिस्टेम्परर ग्रेड-II / गलेजियर /	रुपए	रुपए
पलम्बर या वर्कशाप हैल्पर्/रोक कटिंग लेबर/स्टोन ब्रेकर/स्टोन	250.00	7,500.00
चिस्लर/स्वीपर/बिटुमन के लिए स्प्रे मैन/पाइप लाईन मैन/		
इलैक्ट्रिकल कुली / सिक्योरिटी-गार्ड / बेलदार / ट्रैक्टर / रोड रोलर व		
कंकरीट मिक्सर का क्लीनर/मजदूर सर्वे बॉय/वाचमैन/टी		
बॉय/पीअन(चपरासी)/ड्रेसर/आयल मैन/ग्रीसर/मैस हैल्पर्ज/बॉय		
हैल्पर (0 से 5 साल) / खलासी (0 से 3 साल) / बिल डिस्ट्रीब्यूटर /		
मक्कर।		
अर्धकुशल कर्मकार :		
कारपेन्टर ग्रेड—II/मैसन ग्रेड—II/स्यूअर मैन/ब्लैक स्मिथ ग्रेड— II/	रुपए	रुपए
सैनिटरी फिटर ग्रेड-II/पेन्टर/मैल्टरमेट/स्प्रे-मैन रोडज/क्रेन-मैन/	267.00	8,010/-
बधाणी / अपहोलस्टर / फिटर एटैन्डेन्ट / ब्लैक स्मिथ (बोट मैन) /		
क्रेन-मैन/डिस्टैम्परर ग्रेड-I/फिटर ग्रेड-II फ्लोर-पालिशर/स्टोन		
ड्रेसर/माली/बैल-सिंकर/वाइट-वाशर/वर्कशाप मैकेनिक ग्रेड-II,		
टर्नर-ग्रेड-II / पाइप फिटर ग्रेड-II / ब्रिक मोल्डर / सहायक फिटर /		
सहायक फायर मैन/सहायक वैलंडर/सहायक टर्नर/बैटरी चार्जर/		
ड्रैसर (अर्हित/अनुभवी)/हैमरमैन/कुक/वल्कनाईज़र/नोजल मैन/		
टनल मैन/एलॉए ट्रोली आपरेटर/एटेन्डैन्ट (स्टोर आफिस)/मकैनिकल		
एटैन्डैन्ट / टनल जुबली मैन / टनल-मैन / हैल्पर (5 साल और अधिक) /		
आयल–क्लीनर/ नावगाणी/मेट/हैड–वाचमैन/सहायक–लैवलर/		
खलासी (3 से 8 साल)/स्टोन-ड्रैसर/पम्प-एटैन्डेन्ट/आटो		
इलैक्ट्रिशियन ग्रेड—II / गार्डनर / गेज—रीडर / सहायक लेव		
एटैन्डेन्ट / आटो इलैक्ट्रीशियन / मोटर—मेट / इनक्वाअरी		
एटैन्डेन्ट / टैलीफोन एटैन्डेन्ट।		
स्टोन ड्रैसर स्टोन–ब्रेकर / राक कैरियर ब्रेकर / स्टोन–कैरियर	1-1/2" से 2 इ	! इंच तक रुपए
	1482.00 प्रति सौ	
	 1 से 1/4" इंच	तक रुपये
	1653.31 प्रति सौ	घन फुट

कुशल कामगार :	रुपये	रुपये
कारपेन्टर ग्रेड—I/मैसन ग्रेड—I/ब्लैक स्मिथ/सेनेटरी फिटर ग्रेड—	294.17	8,825 / -
I/अप-होलसल्टर ग्रेड-I/सहायक पम्प ओपरेटर/पम्प ओपरेटर/पम्प		
ड्राइवर/चार्जमैन ग्रेड–II/जल आपूर्ति फिटर/कारपेन्टर ग्रेड–II/		
कम्प्रेसर आपरेटर/कम्प्रेसर ड्राइवर/दर्जी या टेलर ग्रेड–I/दर्जी या		
टेलर ग्रेड-II/क्रशर ड्राइवर/अलंकारिक कार्य के लिए स्टोन-ड्रेसर/		
पलम्बर ग्रेड—I / पाईप फिटर ग्रेड—I / आटो ड्राइवर / सहायक		
मकैनिक / मिक्सर ड्राइवर / मिक्सर आपरेटर / संरचानात्मक फिटर		
ग्रेड-II / वर्कशाप फिटर / जनरेटर आपरेटर / जनरेटर ड्राइवर / प्लांट		
शाप फिटर/ डीजल इंजन फिटर/ट्राली लाइन फिटर/क्रिशंग प्लांट		
फिटर/(बी०) प्लांट फिटर/जैक हैमर फिटर/इलैक्ट्रीकल फिटर/बन्च		
फिटर/शेपर/ आटो फिटर/पाइप लाइन फिटर/रैफ्रिजरेटर प्लांट		
फिटर / ट्रैक्टर – आपरेटर / शाफट माइनर / कोचरिंग आपरेटर / डोजर		
आपरेटर/रोकलेन आपरेटर/सक्रेपर-आपरेटर/लोडर आपरेटर/क्रेन		
आपरेटर / युकलिड-आपरेटर / वैगन इिलआपरेटर / बोरिंग आपरेटर /		
एस०एल०डी० क्रेन आपरेटर/(बी०) प्लांट आपरेटर/आइस प्लांट आपरेटर		
या वैल्डर/गैस कटर/टर्नर/ब्लैक स्मिथ/टिन स्मिथ/ट्रैक्श्न वैटरी		
चार्जर/लाइनमैन टैलीफोन आपरेटर/खलासी/जमादार/वाइन्डर/		
ब्लासटर ड्रिलर/बिन्च फिटर/कम्पाउन्डर/पेन्टर/मिलर/क्लाइमबर/		
मोल्डर/लेबलरज सॉ मिल कटर/केबल जवाइन्टर/फोरमैन ग्रेड-II/		
खलासी (8 साल से अधिक)/ट्रेसर आपरेटर/ई०एम०ई०/ड्राइवर/		
कमप्रेसर/रौकर शावल आपरेटर/स्नो कटर आपरेटर/लोको आपरेटर		
गलेजड टाइपड कार्य के लिए ड्रिलर मैसन/वर्क-मिस्त्री/मोटर-मेट/		
ट्रैक्टर ड्राइवर/टैलीफोन मकैनिक/डी०जी० सेट आपरेटर/वायरलैस/		
वर्कशाप फोरमैन ग्रेड—III.		
उच्च कुशलः	रुपये	रुपये
केवल फर्नीचर के लिए कारपेन्टर/वर्कशाप मकैनिक ग्रेड- I/ चार्ज मैन	354.50	10,635 / -
ग्रेड—I / वर्कशाप फोरमैन ग्रेड—I / टर्नर ग्रेड—I / मकैनिक आल राउन्डर		
आपरेटर/मैसन/मिस्त्री और कारपेन्टर मिस्त्री/संरचनात्मक फिटर		
ग्रेड–I / सर्वेयर / ड्राफटसमैन / सहायक फोरमैन / मकैनिस्ट / कम्पाउन्डर		
(अर्हित) / रोड रोलर ड्राइवर / बुलडोजर ड्राईवर / वायरमैन / आटो		
इलैक्ट्रीशियन / इलैक्ट्रीशियन / कैमिकल एनालाइजर।		
लिपिक और गैर-तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफ :	रुपये	रुपये
बिटुमैन टायर इन्सपैक्टर/रोड इन्सपैक्टर/वर्क इन्सपैक्टर/स्टोर—	294.17	8,825 / -
कीपर / स्टोर-मुंशी / सुपरवाइजर / मीटर-रीडर / लैजर बुकिंग क्लर्क /		
बिल-क्लर्क / इरीगेशन बुकिंग क्लर्क / पटवारी / कम्पर्लेंट एटैन्डेन्ट /		
फैरो-प्रिटंर/ड्राइवर (जीप/ कार/ ट्रैक्टर)/ क्लर्क/ मैकेनिकल		
इंसपैक्टर / सहायक स्टोर कीपर / लेखा-लिपिक / स्टैनोग्राफर ।		

- 1. एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर से बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
- 6. गैर जन—जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
- 7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :-

- (क) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ख) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (ग) **कुशल**.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (घ) उच्च-कुशल.—-उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / — अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अगस्त, 2019

3. लोक मोटर परिवहन :

संख्या श्रम (ए) 4-2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "लोक मोटर परिवहन" के अनुसूचित नियोजन के अर्न्तगत अकुशल कर्मकारों व अन्य कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2019 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—2 / 2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 31–05–2019 को हुई थी जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01–04–2019 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2019 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :--

अकुशल सामान्य कर्मचारिवृन्द् (जनरल स्टाफ) :

	चपरासी, चौकीदार, स्टोर—हैल्पर, स्वीपर, पोर्टर तथा दफ्तरी	250 / — प्रतिदिन	_
()	-11411, -11-1141, 1011 611, 11-11, 1101 11-11 41414	250 / — Aldiea	7500 / — प्रतिमास
(ख)	वर्कशाप–(कर्मचारीवृन्द्).–(स्टाफ) (अकुशल)		
(ग)	वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नही है	250 / — प्रतिदिन	7500 / -
			प्रतिमास
अर्ध—कु	,	रुपए	रुपए
	1. सहायक इलैक्ट्रीशियन	260.17	7,805/-
	2. सहायक मकैनिक	प्रतिदिन	प्रतिमास
	3. सहायक फिटर		
	4. सहायक ब्लैक स्मिथ		
	5. सहायक कारपेंटर		
	9 .		
	•		
	-		
	• • •		
	·		
	, , ,		
	19. सहायक मोल्डर		
कुशल:		रुपए	रुपए
	p, फिटर, ब्लैक स्मिथ, कारपेन्टर, वैल्डर, बोरिंग—वायरमैन.	286.52	8596.00
		प्रतिदिन	प्रतिमास
	5		
	केट हो या दो वर्षों का प्रोबेशन पीरियड हो जिसके पास		
आईटीव	आई का डिप्लोमा न हो। आई०टी०आई० सर्टिफिकेट धारक		
	गन ट्रेड में कार्यरत है।		
कुशलः मकैनिव मशीनि अपहोल मोल्डर, सर्टिफि आईटीः	आई का डिप्लोमा न हो। आई0टी0आई0 सर्टिफिकेट धारक		

उच्च कुशल–वर्कशाप–(कर्मचारीवृन्द्)–(स्टाफ) :	रुपए	रुपए
हैड मकैनिक, कारबोरेटर / हैड इलैक्ट्रीशियन / गैरेज सुपर वाईजर	320.50	9,615/-
	प्रतिदिन	प्रतिमास
सामान्य कर्मचारीवृन्द् (लिपिकीय) आदि		
ग्रुप—ए :	रुपए	रुपए
आउट ऐजेंट, आउट एजेंसी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो टाइपिस्ट,	286.52	8,596 / —
स्टोर डे बुक राइटर, क्लर्क, सहायक कैशियर, बुकिंग—क्लर्क	प्रतिदिन	प्रतिमास
(रिस्टोरर) लैजर कीपर, पैट्रोल पम्प अटैन्डेन्ट।		
ग्रुप–बी :	रुपए	रुपए
मुख्य निरीक्षक, रिसेप्शनिस्ट, निरीक्षक, चैकर, आशुलिपिक ए ग्रेड/	302.52	9076/-
स्टेशन सुपरवाइजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेड, लेखाकार,	प्रतिदिन	प्रतिमास
कैशियर, टायर—निरीक्षक।		
ग्रुप—सीः	रुपए	रुपए
हैड एसिस्टैन्ट / हैड–क्लर्क, ऑडिटर / हैड–कैशियर	361.25	10,838 / -
	प्रतिदिन	प्रतिमास
रनिंग–स्टाफ :	रुपए	रुपए
1. ड्राइवर	324.12	9,724 / -
	प्रतिदिन	प्रतिमास
2. कन्डकटर	293.60	8,808 / -
	प्रतिदिन	प्रतिमास
3. कलीनर—कम—कन्डकटर	273.12	8,194 / —
	प्रतिदिन	प्रतिमास
4. पार्ट टाइम बुकिंग क्लिक	143.72	4312/-
	प्रतिदिन	प्रतिमास

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :-

(क) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ख) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (ग) कुशल.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (घ) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / — अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अगस्त, 2019

4. दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान :

संख्या श्रम (ए) 4-2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2019 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4–2/2018, तारीख 24–04–2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 31–05–2018 को हुई थी जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इस 01–04–2019 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2019 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :-

कर्मचारियों का प्रवर्ग	जहां कोई प्रसुविधा	जहां भोजन, चाय,
	उपलब्ध नहीं	और संयुक्त आवास,
	करवाई गई है	सुविधा उपलब्ध
		करवाई गई है
अकुशल :	रुपए	रुपए
हैल्पर/शॉप-एसिस्टैंट/पल्लेदार / चौकीदार / चपड़ासी/	250.00 दैनिक या	224.47 दैनिक या
स्वीपर/मसालची/ गेटमैन / वाटरमैन / क्लीनर/पैकर/	7500.00 मासिक	6734.00 मासिक
मजदूर / लेन्डर / अनलेन्डर / मसेंजर / क्लाकरूम अटेंडैन्ट /		
पोर्टर / भिस्ती / बेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टरमैन / कोई		
अन्य कर्मकार जो अकुशल कार्य कर रहा हो।		

अर्धकुशल:	रुपए	रुपए
हैडपोर्टर/पेंटरीमैन/काफी टीमेकर/चपातीमैन/सहायक- बेकर/गेट-कीपर (सिनेमा)/सहायक लाइनमैन/सहायक- आपरेटर/वाइंडर एसिस्टेंट बिल-कलैक्टर/कनवैसर/कुक/ एसिस्टैंट हलवाई/बुक बाइंडर/स्टीचर/ फलिंग-किटंग औक्शनर/माली/सीवरमैन/होटल गाईड/सहायक मिस्त्री/ सहायक फिटर/सहायक टर्नर/सहायक वैल्डर/ सहायक इलैक्ट्रीशियन/सहायक वैल्डर/ सहायक सेल्जमैन/सहायक बारबर/धोबी/प्रेसमैन/ ब्वायलर-मैन/ फिल्म-रिवांइडर/ वेटर/ वीयरर/ऐसिस्टैंट रेडियो मकैनिक/ पेंटर/वाईट वॉशर/पकौड़ा और चना मेकर/क्लर्क/(नॉन मैट्रिक) सहायक स्टोर कीपर/डिस्ट्रीब्यूटर व सहायक मशीनमैन/ इनक्वाअरी एटैन्डैन्ट/टेलीफोन एटैन्डैन्ट आई0 टी0 आई0 प्रमाण-पत्र सर्टिफिकेट धारक।	265.55 प्रतिदिन 7,967 / — प्रतिमाह	239.12 / —रुपये प्रतिदिन 7174 / —रुपये प्रतिमाह
कुशल:	रुपए	रुपए
ब्लैक रिमथ/टीनिस्मथ/वाचमेकर/रेडियो मकैनिक/ कारपेंटर/पलम्बर/ड्राइवर/सहायक टेलर/कटर (टेलिरेंग)/जनरल मकैनिक/हलवाई/कुक/कन्फैक्शनर/ बेकर/स्टवार्ड/बटलर/फिटर/ ड्राफटसमैन / टैलीफोन— ओपरेटर/कम्पाउंडर/गोल्डिस्मथ/शू—मेकर/शाल कारपेट वीविंग/ कम्पोजिटर/ सिनेमा आपरेटर/ सेल्जमैन/ ड्राइक्लीनर/ डायर/ बारबर/ रैगुलर मशीनमैन/ मशीनिस्ट/वैल्डर/मोल्डर/कैशियर/क्लर्क (मैट्रिकुलेट)/ मुनीम/रिसैपशनिस्ट/वेटर/वियरर स्टोर—कीपर/हैड वेटर/ हैड—वीयरर (वेस्टरन स्टाइल होटल)/लाइनमैन आई0टी0 आई0 प्रमाण—पत्र धारक, जो इसी ट्रेड में कार्य कर रहे हों।	294.17 दैनिक 8,825 / — मासिक	268.37 दैनिक 8,051 / — मासिक
उच्च-कुशल: स्टोर कीपर/क्लर्क (ग्रेजुएट)/लेखाकार/मुख्य खजानची/ हैड कुक/हैड बटलर/हैड बेकर/हैड कन्फैक्शनर/हैड मकैनिक/इलैक्ट्रीशियन/फोरमैन/सुपरवाइजर/टेलर/कटर (टेलरिंग)।	रुपए 307.12 दैनिक 9214 मासिक	रुपए 282.40 दैनिक 8,472 मासिक

- 1. एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :--

- (क) अकुशल:—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ख) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (ग) कुशल.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (घ) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / — अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला, 6 अगस्त, 2019

वानिकी उद्योग :

संख्या श्रम (ए) 4–2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "वानिकी उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2019 से संशोधित किया जाए:

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—2/2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 31–05–2018 को हुई थी जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01–04–2019 से लागू करने की सिफारिश की गई थी; अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2019 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

	कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित	न्यूनतम मजदूरी		
	47.144.() 47.214.1	दैनिक	मासिक		
1.	1. अकुशल कर्मकार :				
	1. वृक्षों का गिराना	रुपए 250.00	रुपए 7500.00		
	2. लेपर (छांगी)	रुपए 265.55	र ुपए 7967.00		
	3. फैलर (गिरानी)	रुपए 256.12	रुपए 7684.00		
2.	लागिंग एण्ड स्वाईंग टिम्बर पासिंग सहित	·	·		
	1. ड्रैसर (पंचानी)	रुपए 256.12	रुपए 7684.00		
	2. सायर (चिरानी)	रुपए 320.50	रुपए 9616.00		
	3. ब्लैकरिमथ	रुपए 296.40	रुपए 8982.00		
3.	मैनुअल लेबर द्वारा कैरेज, स्टेकिंग एण्ड टिम्बर पासिंग :	-	·		
	1. कैरेज के लिए मजदूर	रुपए 256.12	रुपए 7684.00		
	2. टिम्बर के लोडिंग / अनलोडिंग हेतु मजदूर	रुपए 256.12	रुपए 7684.00		
4.	एरियल रोप वेज द्वारा कैरेज ऑफ टिम्बर :				
	1. स्पैन मिस्त्री–कम–सुपरवाइजर	रुपए 320.50	रुपए 9615.00		
	2. स्पैन मिस्त्री	रुपए 299.40	रुपए 8982.00		
5.	कैरेज बाई वाटर स्लाइड (पक्की नाली) ड्राई स्लाइड :				
	(पत्थरू) नालाबहान दरिया बहान (रीवर फलोटिंग)				
	1. मोहरी वाला मिस्त्री	रुपए 345.15	रुपए 10355.00		
	2. तारू	रुपए 330.27	रुपए 9908.00		
	3. एसिसटैंट मिस्त्री (हैल्पर मिस्त्री)	रुपए 307.12	रुपए 9214.00		
	4. दरियामैन	रुपए 330.27	रुपए 9908.00		
	5. घालू	रुपए 277.17	रुपए 8315.00		
	6. जमादार	रुपए 277.17	रुपए 8315.00		
6.	मकैनाइजड लोगिंग तथा टिम्बर एक्सट्रैकशन :				
	1. सर्वेयर	रुपए 322.57	रुपए 9677.00		
	2. स्काई लाइन आपरेटर	रुपए 299.40	रुपए 8970.00		
	3. ट्रक ड्राइवर	रुपए 279.30	रुपए 8379.00		
	4. कम्प्रेशर ड्राइवर	रुपए 279.30	रुपए 8379.00		
7.	क्लैरिकल स्टाफ :				
	1. मैनेजर	रुपए 375.12	रुपए 11254.00		
	2. एकाउन्टैंट	रुपए 283.97	रुपए 8519.00		
	3. मुन्शी / टाइपिस्ट क्लर्क	रुपए 256.12	रुपए 7684.00		
	-				
8.	सॉ मिल वर्कर :	T			
	1. बैंड सॉ मिस्त्री	रुपए 299.40	रुपए 8982.00		
	2. सुपरवाइजर	रुपए 296.29	रुपए 8889.00		
	3. हैड मिस्त्री	रुपए 299.40	रुपए 8982.00		
	4. वायलर ड्राइवर	रुपए 299.40	रुपए 8982.00		
	5. एसिसटैंट मिस्त्री	रुपए 260.17	रुपए 7805.00		
	6. पलेनर मिस्त्री	रुपए 260.17	रुपए 7805.00		
	7. हैल्पर	रुपए 256.12	रुपए 7684.00		
	8. कटर मैन	रुपए 256.12	रुपए 7684.00		

9.	कत्था एक्सट्रैक्शन :		
	1. फैलर तथा चिपर	रुपए 256.12	रुपए 7684.00
	2. कत्था सुपरवाईजर / कत्था प्रौसेसर	रुपए 255.55	रुपए 7667.00
उच्च	कुशल :		

- 1. एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

- (क) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ख) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (ग) **कुशल:**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (घ) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला, 6 अगस्त, 2019

रसायन एवं रसायनिक उत्पाद :

संख्या श्रम (ए) 4—2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि 'रसायन और रसायनिक उत्पादों' के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01—04—2019 से संशोधित किया जाए।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—2 / 2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 31–05–2019 को हुई थी जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01–04–2019 से लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2019 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :-

कर्मकारों के वर्ग	संशोधित	न्यूनतम दरें
	दैनिक	मासिक
अकुशल :	रुपए	रुपए
	250.00	7500.00
अर्द्वकुशल :		
एसिसटैंट इलैक्ट्रीशियन, एसिसटेंट फिटर, ऐसिसटेंट टर्नर, एसिसटेंट वैल्डर, एसिसटेंट मोल्डर, एसिसटेंट प्लांट ओपरेटर, एसिसटेंट ब्लैकिस्मिथ, एसिसटेंट—कापरमैन, री—इरीगेशन एसिसटेंट, जमादार, ईस्ट मैन, ईस्ट—कलटीवेटर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, वायरमैन, पोस्टलटमैन, फायरमैन, आयलमैन, पम्पमैन ग्रेड—I, मशीन लेवलर, सलैक्टर, कटर—कम—मार्किट सैलर अम्पुलर, हैगमैन, आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) धारक।	रुपए 258.47	रुपए 7554.00
कुशलः	दैनिक	मासिक
साल्टमैन, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, कापरमैन, टर्नर, मोल्डर, ब्लैकस्मिथ, प्लांट आपरेटर मैसन, कारपेंटर, एसिसटेंट-फोरमैन, हैड-जमादार, बॉयलर एटेंडेंट ग्रेड-II, वर्कशाप फोरमैन, इलैक्ट्रीशियन फोरमैन, ईजन ड्राइवर, ड्राफ्टसमैन, एसिसटेंट-कैमिस्ट, मशीनमैंन, कैशियर / क्लर्क (मैट्रिकुलेट), सेल्ज मैन, रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट) धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है।	रुपए 297.17	रुपए 8825.00
उच्च–कुशल :	दैनिक	मासिक
बॉयलर अटेंडैंट (प्रथम श्रेणी), ओवरसीयर, हैड फोरमैन	रुपए 354.50	रुपए 10635.00

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :-

- (क) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ख) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोज़मर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (ग) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (घ) उच्च-कुशल.—-उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / – अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

.

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला, ६ अगस्त, 2019

इंजीनियरिंग उद्योग :

संख्या श्रम (ए) 4–2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "इंजीनियरिंग उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01–04–2019 से संशोधित किया जाए।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—2/2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 31–05–2019 को हुई थी जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01–04–2019 से लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2019 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :——

अकुशल :	दैनिक	मासिक
	रुपए	रुपए
	250.00	7,500
अर्द्वकुशल :	दैनिक	मासिक
टेपर ग्रेड–III, र्टनर ग्रेड– III, ड्रीलर ग्रेड– III, रोमर ग्रेड–III, शेयर	रुपए 258.47	रुपए 7754.00
मैन ग्रेड-III, मशीनमैन, मशीनिस्ट/आपरेटर ग्रेड-III, ब्रजर ग्रेड- III,		
हैड स्पीनिंग बाइंडर/लाइनर ग्रेड–III, प्रैस आपरेटर ग्रेड–III, स्प्रे		
पेंटर ग्रेड-III, ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड-III, असैम्बलर ग्रेड-III, कोबलर,		
रबर रोजिन कटर, टेलर ग्रेड-III, मैटिरियल चैकर, फिटर फ्रेम,		
नम्बरिंग मैन, फ्रेम सैंडर इलैक्ट्रोपलेटर ग्रेड-III, मोपर ग्रेड-III,		
ग्राइंडर ग्रेड–III, पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैड–मकैनिक, आपरेटर		
ग्रेड-III, थ्रेड/रोलर आपरेटर ग्रेड-III, बुक स्क्रयू मशीन आपरेटर		
ग्रेड–III, फीडर ग्रेड–III, डाइमेकर ग्रेड–III, वैल्डर ग्रेड–III,		
टिनस्मिथ ग्रेड–III, पाइपरीडर, हेमरमेन ग्रेड–III, इलैक्ट्रिक लाईनमैन		
ग्रेड–III, वाउचर इन्सपैक्टर ग्रेड–III, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर		
ग्रेड—III, आयलमैन।		
कुशल :		
टेपर ग्रेड-II, टर्नर ग्रेड-II, ड्रिलर ग्रेड-II, शैपर ग्रेड-II, शैपर मैन	दैनिक या	मासिक
ग्रेड—II, स्लाटर्मैन ग्रेड—II, मकैनिस्ट आपरेटर / ब्रजर ग्रेड—II, लाईनर	रुपए 294.17	रुपए 8,825.00
ग्रेड—II, स्प्रे पेंटर ग्रेड—II, ट्रांस्फर मिकसर ग्रेड—II, प्रैस आपरेटर		
ग्रेड-II, असैबंलर ग्रेड-II, टेलर ग्रेड-II, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड-II, मोपर		
ग्रेड-II, ग्राईंडर ग्रेड-II, हैडमशीन आपरेटर ग्रेड-II, थ्रेड और रोलर		
मशीन आपरेटर ग्रेड-II, बुक स्करयू मशीन आपरेटर ग्रेड-II, गोल्ड		
्रहा मशीन आपरेटर् ग्रेड—II, फिटर ग्रेड—II, कारपैंटर् ग्रेड/पैटरन		
मेकर ग्रेड—II, डाईमेकर ग्रेड—II, साइस्टर ग्रेड—II, वैल्डर ग्रेड—II,		
टिनस्मिथ ग्रेड—II, हैमरमैन ग्रेड—II, ब्लैकस्मिथ ग्रेड—II, टूलसैटर		
ग्रेड्–II, इलैक्टीकल लाईनमैन् ग्रेड–II, ईलैक्ट्रीशून ग्रेड–II, आरमैचर		
वाईंडर और क्वायल बाईंडर ग्रेड-II, केबल ज्वाईंटर ग्रेड-II, वाऊचर		
इंस्पैक्टर ग्रेड—II, लिस्टर डीजल इन्जन ड्राईवर ग्रेड—II, मोल्डर		
ग्रेड—II, सुपरवाईजर आई० टी० आई० प्रमाण पत्र धारक जो उसी ट्रेड		
में कार्यरत है।		
उच्च–कुशल :		
टर्नर ग्रेड–I, ग्राईंडिंग मशीन आपरेटर ग्रेड–I, शेपर मैन ग्रेड–I,	दैनिक या	मासिक
सलाटरमैन ग्रेड–I, मिलर ग्रेड–I, इलैक्ट्रोपलेटर ग्रेड–I, गोल्ड ड्रॉ	रुपए	रुपए
मशीन आपरेटर ग्रेड—I, फिटर ग्रेड—I, कारपेंटर/पैटर्न मेकर ग्रेड—I,	354.50	10,635.00
डाईमेकर ग्रेड—I, एन्ग्रेवर ग्रेड—I, ब्लैकस्मिथ ग्रेड—I, डाईसैटर ग्रेड—I,		
टूल सैटर ग्रेड—I, इलैक्ट्रीशियन ग्रेड—I.		

क्लैरिकल स्टाफ :		
कैशियर (मैट्रिकुलेट) क्लर्क, सेल्जमैन, टाईपिस्ट, स्टोरकीपर	दैनिक या	मासिक
	रुपए	रुपए
	270.02	8101.00

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (क) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ख) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (ग) **कुशल**.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (घ) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला, 6 अगस्त, 2019

8. चाय बागान (टी प्लांटेशन) :

संख्या श्रम (ए) 4–2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि चाय बागान (टी प्लांटेशन) के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2019 से संशोधित किया जाए।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—2 / 2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 31–05–2019 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01–04–2019 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2019 से निम्न प्रकार से उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के वर्ग	संशोधित	
	न्यूनतम	मजदूरी
चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण, उखाडनें, स्प्रे करने,	रुपए दैनिक	मासिक रुपए
तैयार करने, खाद देने, छायावरण (शेड लापिंग) के लिए,	250.00 या	7500.00
कुदाली, कांट–छांट करने, गुड़ाई करने, तुड़ाई आदि के कार्य		
में नियोजित अकुशल कर्मकारों के नाम से ज्ञात।		

ए—ग्रेड पत्तियां——यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला.——12 किलोग्राम से अधिक प्रोत्साहन के रूप में चाय पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 18.08 रु० प्रतिकिलो, अतिरिक्त मिलेंगे।

बी ग्रेड पत्तियां.—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 14.31 रु0 प्रतिकिलो ग्राम, अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

सी ग्रेड पत्तियां.—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 10.66 रु० प्रतिकिलो ग्राम, अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे। पत्तियां तोड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को क्रमशः चाय पत्तियों के—'ए', 'बी व 'सी' ग्रेड के लिए 18.08 रु०, 14.31 रु० और 10.66 रु० प्रति किलोग्राम की दर से मिलेंगे।

अर्द्धकुशल :

चाय कारखाने और चाय पौधरोपण में लगाए गए कर्मकारों को 254.56 रु० प्रतिदिन या 7,637.00 रु० प्रतिमास मिलेंगे।

कारखाना : रुपए 250.00 दैनिक या रुपए 7500 / - मासिक

इसमें लिफ्ट मजदूर (पत्तियों को सुखाने वाला) मजदूर, रैलिंग रूम वर्कर, सिफ्टिंग मजदूर, फर्मेंटिंग रूम कर्मकार, टी ब्वायज, सार्टज, टी–मेकर्ज, टाइम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं। प्लांटेशन: रुपए 250.00 रुपए दैनिक या रुपए 7500.00 मासिक

क्लीनर, असिस्टेंट कलीनर, बगीचा असिस्टेंट, मोहरीर्ज इत्यादि, जो फील्ड वर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर, माली तथा मेट भी शामिल होंगे।

क्लैरिकल और नॉन-टैक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ:

आफिस स्टाफ :

1.	लेखाकार	रुपए 395.22 प्रतिदिन रुपए 11857.00 प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ़्त आवास
2.	लिपिक	रुपए २९४.१७ प्रतिदिन रुपए ८८२५.०० प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ़्त आवास
3.	मुन्शी	रुपए 309.53 प्रतिदिन रुपए 9286.00 प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ़्त प्रसुविधाएं जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं।
4.	चपड़ासी / चौकीदार / चौधरी	रुपए 254.57 प्रतिदिन रुपए 7637.00 प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ़्त प्रसुविधा जो अनुज्ञेय हैं।

5.	कम्पाउन्डर	दैनिक रुपए 364.27	मासिक रुपए 10928.00
6.	ड्राइवर (जीप / कार / ट्रैक्टर)	रुपए 324.12	रुपए 9724.00
7.	मकैनिक	रुपए 367.40	रुपए 11022.00
8.	एसिसटैन्ट मकैनिक	रुपए 322.57	रुपए 9677.00
9.	इलैक्ट्रीशियन—कम—मकैनिक ग्रेड—I	रुपए 367.40	रुपए 11022.00
10.	इलैक्ट्रीशियन—कम—मकैनिक ग्रेड—II	रुपए 322.57	रुपए 9677.00

टिप्पणी:

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

- (क) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ख) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला, 6 अगस्त, 2019

9. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खण्ड-ट में यथापरिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया सहित स्थापनः

संख्या श्रम (ए)4—2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खण्ड (ट) में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01—04—2019 से संशोधित किया जाए।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पिठत धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—2/2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 31–05–2019 को हुई थी जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01–04–2019 से लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2019 से निम्न प्रकार से उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार संशोधित करते हैं:—

अकुशल कर्मकार	रुपए 250.00 प्रतिदिन या रुपए 7500.00 प्रतिमास
अर्द्ध—कुशल	रुपए २५८.४७ प्रतिदिन या रुपए ७७५४.०० प्रतिमास

कुशल और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द (स्टाफ)	रुपए २९४.17 प्रतिदिन या रुपए ८८२५.०० प्रतिमास
उच्च कुशल	रुपए 354.50 प्रतिदिन या रुपए 10625.00 प्रतिमास

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (क) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ख) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (ग) **कुशल**.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (घ) उच्च-कुशल.-उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला, 6 अगस्त, 2019

10. होटल और रैस्टोरैंट :

संख्या श्रम (ए) 4–2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि होटल और रैस्टोरैंट के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01–04–2019 से संशोधित किया जाए।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4—2 / 2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 31–05–2019 को हुई थी जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01–04–2019 से लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2019 से निम्न प्रकार से उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार संशोधित करते हैं:---

कर्मकारों का प्रवर्ग	संशोधित	मजदूरी
	जहां कोई प्रसुविधा	जहां संयुक्त आवास
	उपलब्ध नहीं	और खाना, चाआदि
	करवाई गई है	की प्रसुविधा उपलब्ध
		करवाई गई है
अकुशल :		
हैल्पर / चौकीदार / चपड़ासी / स्वीपर / मसालची / गेटमैन /	रुपए 250.00	रुपए 224.47
वाटरमैन / मसेंजर / क्लाकरूम अटैंडेंट / पोटर / भिश्ती /	दैनिक या	दैनिक या
बेलदार/फायरमैन/पांडी/पोस्टर मैन या कोई अन्य कामगार	रुपए 7500.00	रुपए 6734.00
जो अकुशल श्रेणी का कार्य करता हो।	मासिक	मासिक
अर्द्व कुशल कर्मकारः		
पेंट्रीमैन/काफी–टी मेकर/चपातीमैन/सहायक बेकर/	रुपए 265.55	रुपए 240.11
कुक / सहायक हलवाई / बुक बाईंडर / सटिचर / रूलिंग /	दैनिक	दैनिक या
कटिंग/ऑक्शनर / माली / होटल गाईड /असिस्टेंट	रुपए 7,967.00	रुपए 7,203.00
मिस्त्री / असिस्टेंट फिटर / सीवरमैन / असिस्टेंट टर्नर /	मासिक	मासिक
असिस्टेंट वैल्डर/असिस्टेंट इलैक्ट्रीशियन/असिस्टेंट		
सेल्जमैन/असिस्टेंट बारबर/धोबी/प्रैसमैन/वॉयलरमैन/		
फिल्म रिवाईंडर/वीअरर/असिस्टेंट रेडियो मकैनिक/		
पेंटर/वाइट वॉशर/पकौड़ा और चना मेकर/क्लर्क		
(नॉनमैट्रिक) / डिस्ट्रीब्यूटर और असिस्टेंट स्टोरकीपर, असिस्टेंट		
डिस्ट्रीब्यूटर और मशीनमैन/इनक्वायरी एटैन्डेन्ट/ टेलीफोन		
एटैन्डेन्ट / आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र धारक जो अन्य ट्रेड में		
कार्यरत है।		

कुशल कर्मकार :		
ब्राइवर / हलवाई / कुक / कन्फैक्शनर / बेकर / स्टीवरर्ड /	रुपए 294.17	रुपए 268.37
बटलर / ड्राफ्टसमैन / टेलीफोन ऑपरेटर / रिसैप्शनिस्ट /	दैनिक या	दैनिक या
वेटर / वियरर / स्टोरकीपर / हैड वेटर / हैड वीयरर (वेस्टर्न	रुपए 8,825.00	रुपए 8,051.00
स्टाइल होटल) आई0टी0आई0 प्रमाण–पत्र धारक जो उसी	मासिक	मासिक
ट्रेड में कार्यरत है।		
उच्च–कुशलः		
स्टोर कीपर/क्लर्क (ग्रेजुएट)/अकाऊंटेंट/हैड खजानची/	रुपए 307.12	रुपए 282.40
हैड-कुक / हैड-बटलर / हैंड-बेकर / हैड-कन्फैक्शनर / हैड-	दैनिक या	दैनिक या
मकैनिक / इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन / सुपरवाइजर / टेलर / कटर	रुपए 9,214.00	रुपए 8,472.00
(टेलरिंग)।	मासिक	मासिक

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (क) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ख) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (ग) कुशल.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(घ) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो क्शल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला, ६ अगस्त, 2019

11. निजी शैक्षणिक संस्थान :

संख्या श्रम (ए) 4–2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "निजी शैक्षणिक संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01–04–2019 से संशोधित किया जाए।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4–2/2018, तारीख 24–04–2018 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 31–05–2019 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01–04–2019 से लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2019 से निम्न प्रकार से उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार संशोधित करते हैं:—

अकुशल कर्मकार रु० 250.00 प्रतिदिन या रु० 7500.00 प्रतिमाह अर्द्ध—कुशल रु० 265.55 प्रतिदिन या रु० 7967.00 प्रतिमाह कुशल रु० 294.17 प्रतिदिन या रु० 8825.00 प्रतिमाह उच्च कुशल रु० 307.12 प्रतिदिन या रु० 9214.00 प्रतिमाह

टिप्पणीः

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्युनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेत् नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

- (क) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ख) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (ग) **कुशल**.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (घ) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अगस्त, 2019

12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं :

संख्याः श्रम (ए) 4—2/2018.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01—04—2019 से संशोधित किया जाए।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पिठत धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम (ए) 4—2/2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 31—05—2019 को हुई थी, जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01—04—2019 को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2019 से उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग	निर्धारित	मजदूरी
1. अकुशल कर्मकार	दैनिक	मासिक
चपड़ासी, पम्प ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर का सहायक, पम्प अटेन्डेन्ट, जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर का सहायक, प्लांट ऑपरेटर का सहायक, एक्सकावेटर ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर का सहायक, एक्सकावेटर ऑपरेटर का सहायक, टेमरॉक ऑपरेटर का सहायक, मैकेनिक का सहायक, टरनर का सहायक, इलेक्ट्रीशियन का सहायक, ओटो इलेक्ट्रीशियन का सहायक, वैल्डर का सहायक, फिटर का सहायक, कारपेन्टर का सहायक, भारी मोटर यान चालक का सहायक, खलासी का सहायक, कम्परेशर अटेन्डेंट, जनरेटर अटेन्डेंट, टीएम अटेन्डेंट, कन्क्रीट मिक्चर प्लांट ऑपरेटर का सहायक, फायरमैन का सहायक, स्टोन ड्रेसर का सहायक, हेड वॉच मैन का सहायक, लेबोट्ररी असिस्टेन्ट का सहायक, गोज रीडर का सहायक, टाईम कीपर का सहायक, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर का सहायक, जनरेटर ऑपरेटर का सहायक, जनरेटर ऑपरेटर का सहायक, कलीनर का सहायक, पाईप फिटर का सहायक, पुजारी का सहायक, कलीनर—कम—बेलदार, वॉशर मैन/वाशर मेड, ऑफिस ब्याय, कले कलीनर, सहायक बूमर, ऑटोमोबाईल फिटर का सहायक, मसालची, एअर कन्डीशनिंग प्लांट सहायक, सुपरवाईजर का सहायक, मेस सहायक, सफाई कर्मचारी।	₹0 250.00	₹0 7,500 / —
2. अर्ध-कुशल कर्मकार : किनिष्ठ पम्प ऑपरेटर, किनिष्ठ कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर, किनिष्ठ जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर, किनिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, किनिष्ठ नोजलमैन, किनिष्ठ एक्सकावेटर ऑपरेटर, किनिष्ठ कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर, किनिष्ठ लोडर ऑपरेटर, किनिष्ठ टेमरॉक ऑपरेटर, किनिष्ठ मैकेनिक, किनष्ठ ओटो इलैक्ट्रीशियन, किनिष्ठ वैल्डर, किनिष्ठ फिटर, किनिष्ठ टायर फिटर, किनिष्ठ पेन्टर, किनिष्ठ पलम्बर, किनिष्ठ डैन्टर, किनिष्ठ कारपेन्टर, सिक्योरिटी गार्ड, खलासी (तीन वर्ष का अनुभव), किनिष्ठ कम्परेसर अटेन्डेट, जनेरेटर अटेन्डेट, लोकोमोटिव अटेन्डेट, कन्क्रीट मिक्चर अटेन्डेट, किपर, डीजल जनेरेटर सेट ऑपरेटर, जनेरेटर ऑपरेटर, वायरलैस ऑपरेटर, किनिष्ठ डीजल ईन्जन फिटर, किनिष्ठ पाईप फिटर, दूरभाष अटैण्डेंट, सहायक सरवेयर, कार्यालय अटेन्डेंट, किनिष्ठ ऑयलर, किनिष्ठ ड्रिलर, किनिष्ठ जेसीबी ऑपरेटर, किनिष्ठ स्क्रेपर, पुजारी, सहायक स्टोर कीपर, सहायक स्टोर मुन्शी, कंप्लेंट अटेन्डेंट, किनिष्ठ इलैक्ट्रीशियन, माली।	₹0 267.00	₹0 8010 / —

3. कुशल कर्मकार :		
डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, बेचिंग प्लांट ऑपरेटर,	रु0 294.17	₹0 8825/-
क्रिशंग ऑपरेटर, एक्सकावेटर ऑपरेटर, सीएमटी क्रेन ऑपरेटर, 26 टन		
डम्पर ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, जेनटरी ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर,		
लोकोमोटिव ऑपरेटर, टेमरॉक / जम्बो ऑपरेटर, मैकेनिक, टर्नर, वैल्डर,		
ड्रिलर, नोजल मैन, फिटर, स्टील फिक्सर, लोहार, ब्लास्टर, कारपेन्टर,		
ओटो इलैक्ट्रीशियन, पेन्टर, डैन्टर, मैसन, पलम्बर, बार बाईन्डर, टायर		
फिटर, सीएमटी ऑपरेटर, ए०सी० प्लांट ऑपरेटर, मेरलो ऑपरेटर, वर्क		
इन्सपैक्टर, सुपरवाईजर, कैम्प इन्चार्ज, नॉन टैकनीकल सुपरवाईजर,		
(माईंनिंग बलास्टिंग) चालक, मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, बकोह ऑपरेटर,		
हाईड्रो क्रेन ऑपरेटर, सरवेयर, सक्रेप ऑपरेटर, बोबकेट ऑपरेटर, स्कूप		
ऑपरेटर, गेरोटिंग पम्प ऑपरेटर, मोर्टर बाइर्डर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर,		
कैशियर, स्टोर कीपर, लेखा क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कुक,		
खलासी (पांच वर्ष से अधिक का अनुभव), धोबी।		
4. उच्च–कुशल कर्मकार :		
वरिष्ठ क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ बेचिंग प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ ट्रेलर	₹0 354.50	रु0 10635 ∕ —
ऑपरेटर, वरिष्ठ डम्पर ऑपरेटर, टनल बोरिंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ		
प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ हेवी अर्थ मूविंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ डोजर		
ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ सीई प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ		
कारपेन्टर, वरिष्ठ मकैनिक, वरिष्ठ ड्रिलर, वरिष्ठ लोहार, वरिष्ठ		
इलैक्ट्रीशियन, वरिष्ठ बार बाईन्डर, वरिष्ठ ओटो इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ		
फिटर, वरिष्ठ टायर फिटर, वरिष्ठ टर्नर, वरिष्ठ वैल्डर, वरिष्ठ डैन्टर,		
चालक (भारी परिवहन यान), टावर क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ वैल्डर एक्सरे,		
केबल ज्वाईंटर, वरिष्ठ ब्लास्टर, ४० टन डम्पर ऑपरेटर, वरिष्ठ जम्बो		
ऑपरेटर, फोरमैन, गनमैन, वरिष्ठ ए०सी० प्लांट ऑपरेटर, वर्कशॉप		
मैकेनिक, कम्पाउंडर, कैमिकल एनालाईजर, लेबोरेटरी एसिस्टेन्ट,		
फार्मासिस्ट, नर्स, स्टैनोग्राफर, एकाउटेन्ट, खलासी (8 वर्ष से उपर का		
अनुभव)।		

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर से बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
- 6. गैर—जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाईड्रोइलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (क) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ख) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (ग) **कुशल**.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (घ) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अगस्त, 2019

13. फार्मास्यूटिकल उद्योग :

संख्या श्रम (ए) 4–2 / 2018.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "फार्मास्यूटिकल उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2019 से संशोधित किया जाए।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम (ए) 4—2/2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 31—05—2019 को हुई थी, जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01—04—2019 को लागू करने की सिफारिश की गई थी। अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2019 से उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	न्यूनतम	मजदूरी
1. अकुशल कर्मकार :	दैनिक	मासिक
पैकिंग हैल्पर, मशीन हैल्पर, लेबोरेटरी हैल्पर, स्टोर हैल्पर, हाऊस	रु0 250	रु० ७,500 ∕ −
कीपिंग हैल्पर, चपड़ासी।		
2. अर्द्ध-कुशल कर्मकार :		
तकनीशियन (डी० फार्मा), फिटर (आईटीआई), मेन्टिनेन्स	रु0 258.47	रु0 7754 ∕ —
(आईटीआई), पीडब्लयू ऑपरेटर, माली, सिक्योरिटी गार्ड, एसिसटेन्ट		
स्टोरकीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट।		
3. कुशल कर्मकार:		
आफिसर (बी० फार्मा), टैक्नीकल सुपरवाईजर (आईटीआई डिप्लोमा,	रु0 294.17	रु0 8825 ∕ —
डी० फार्मा), ऑपरेटर, सिक्योरिटी सुपरवाईजर, इलैक्ट्रीशियन,		
स्टोरकीपर, एकाऊन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री		
ऑपरेटर, कैशियर।		
4. उच्च कुशल कर्मकार :		
सेल्ज आफिसर, सेल्ज एग्जिकियूटिव, सेल्ज प्रमोशन इम्पलाई,	₹0 354.50	₹0 10635/-
मैडिकल एण्ड सेल्ज रिप्रजैन्टेटिव, बी० फार्मा, एकाऊन्टेन्ट, बीएससी		
कैमिस्ट, एमएससी कैमिस्ट, स्टैनोग्राफर।		

टिप्पणी :

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

(क) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ख) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (ग) कुशल.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (घ) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / — अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अगस्त, 2019

14. अस्पताल / नर्सिंग होम और क्लीनिक :

संख्याः श्रम (ए) 4–2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लीनिक" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2019 से संशोधित किया जाए।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पिठत धारा 5 की उप—धारा (1) के खन्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम (ए) 4—2/2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 31—05—2019 को हुई थी, जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01—04—2019 को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2019 से उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:–

कर्मकारों के प्रवर्ग	जहां कोई प्रसुविधा	जहां भोजन, चाय
	उपलब्ध नहीं	और संयुक्त आवास
	करवाई गई है	सुविधा उपलब्ध
		करवाई गई है
अकुशल :		
हैल्पर, क्लीनर, चौकीदार/वाचमैन, चपड़ासी, रूम ब्वाय,	रु0 250.00 दैनिक	रु0 224.47 दैनिक
आफिस ब्वाय, वार्ड ब्वाय, मसालची।	या	या
	रु० ७,5०० मासिक	रु० ६,734 मासिक

अर्द्ध—कुशल :		
क्लीनिक अटेन्डेंट, एसिसटेन्ट लैबोरेटरी तकनीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर, ऑपरेशन थियेटर एसिस्टेन्ट, एसिसटेन्ट स्टोर कीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट। कुशल:	या रु० ७,९६७ मासिक	या रु0 7,174 मासिक
रिसेप्सिनशट फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर, लेबोरेटरी तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन, एएनएम, ट्रेंड दाई, इलैक्ट्रीशियन, रेडियो ग्राफर, ईसीजी आपरेटर, एक्सरे डार्करूम एसिसटेन्ट, ओवन आपरेटर, ऑक्सीजन प्लांट आपरेटर, हीटिंग प्लांट कन्ट्रोलर एसिसटेन्ट, चालक, सीएसएसडी एसिस्टेन्ट, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन, आई रिफ्रैकशनिस्ट, स्टोर कीपर, एकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर, फिटर, पलम्बर, सुपरवाईजर, कुक, धोबी वार्ड ब्वाय/वार्ड अटैंडट (पांच वर्ष की सेवा)।	रु0 294.17 दैनिक या रु0 8,825 मासिक	रु0 268.37 दैनिक या रु0 8,051 मासिक
उच्च कुशल: स्टाफ नर्स, सिक्योरिटी सुपरवाईजर, वरिष्ठ इलैक्ट्रीशियन, वरिष्ठ तकनीशियन, वरिष्ठ रेडियोग्राफर, वरिष्ठ कम्पाउण्डर, एकाउन्टेन्ट, स्टैनोग्राफर।	रु० 307.12 दैनिक या रु० 9,214 मासिक	रु0 282.40 दैनिक या रु0 8,472 मासिक

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

(क) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ख) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (ग) **कुशल**.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (घ) उच्च-कुशल.—-उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अगस्त, 2019

15. घरेलू कर्मकार :

संख्या श्रम (ए) 4–2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "घरेलू कर्मकार" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2019 से संशोधित किया जाए।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम (ए) 4—2/2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 31–05–2019 को हुई थी, जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01–04–2019 को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2019 से उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :——

कर्मकारों के प्रवर्ग	जहां कोई प्रसुविधा	जहां भोजन, चाय
	उपलब्ध नहीं करवाई	और संयुक्त आवास
	गई है	सुविधा उपलब्ध
		करवाई गई है
अकुशल :		
हैल्पर, आया, क्लीनर, मसालची, वॉचमैन, वॉशरमैन	रु0 250.00 दैनिक	रु0 196.00 दैनिक
	या	या
	रु० ७५०० मासिक	रु० 5880 मासिक

2. अर्ध-कुशल कर्मकार :		
सिक्योरिटी गार्ड, माली	रु0 265.55 दैनिक	रु0 206.88 दैनिक
	या	या
	रु० ७९६७ मासिक	रु० ६२०६ मासिक
3. कुशल कर्मकार :		
कुक, चालक	रु0 294.17 दैनिक	रु0 226.92 दैनिक
	या	या
	रु0 8825 मासिक	रु० ६८०८ मासिक

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

- (क) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ख) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (ग) **कुशल**.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (घ) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अगस्त, 2019

16. सफाई कर्मचारी नियोजन :

संख्याः श्रम (ए) 4–2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सफाई कर्मचारी नियोजन" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2019 से संशोधित किया जाए।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम (ए) 4—2/2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 31–05–2019 को हुई थी, जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01–04–2019 को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2019 से उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :--

कर्मकारों के प्रवर्ग		
	न्यूनतम	मजदूरी
अकुशल :	दैनिक	मासिक
स्वीपर / सफाई कर्मचारी, बेलदार, कार्टमैन	रु0 250.00	रु0 7,500
अर्ध—कुशल :		
वर्क सुपरवाईजर, सेनेटरी जमादार, एसीस्टेन्ट स्टोर कीपर,	रु0 258.47	रु0 7,754
एसीस्टेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट।		
कुशल :		
चालक, मेसन, प्लम्बर, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, कम्प्यूटर	रु0 294.17	₹0 8,825
ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर।		
उच्च कुशल :		
कनिष्ठ अभियन्ता, सेनेटरी इन्सपैक्टर, स्टैनोग्राफर, एकाउन्टेन्ट	रु0 354.50	रु0 10635

टिप्पणी :

- 1. एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।

5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (क) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ख) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (ग) **कुशल**.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (घ) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 6 अगस्त, 2019

17. सुरक्षा सेवाएं :

संख्या श्रम (ए) 4–2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सुरक्षा सेवाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2019 से संशोधित किया जाए।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम (ए) 4—2 / 2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 31–05–2019 को हुई थी, जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01–04–2019 को लागू करने की सिफारिश की गई थी। अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01—04—2019 से उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार निम्न प्रकार से संशोधित करते है:—

अकुशल :	दैनिक	मासिक
हैल्पर, वॉचमैन	रु0 250.00	रु0 7,500
अर्ध—कुशल :		
सिक्योरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी,	रु0 258.47	रु0 7,754
कम्पलेन्ट अटेन्डेंट।		
कुशल :		
सिक्योरिटी सुपरवाईजर, हैड वॉचमैन, स्टोरकीपर, एकाउन्टस	रु0 294.17	रु0 8,825
क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर।		
उच्च कुशल :		
सिक्योरिटी आफिसर, सिक्योरिटी मैनेजर, स्टैनोग्राफर, एकाउन्टेन्ट	₹0 354.50	रु0 10,635

टिप्पणी:

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर से बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
- 6. गैर—जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाईड्रोइलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
- 7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

(क) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ख) अर्द्ध-कुशल.--अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (ग) कुशल.—-कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान
- (घ) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

हस्ताक्षरित / –

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 6 अगस्त, 2019

मन्दिर और धार्मिक स्थान/धर्मशालाएं : 18.

संख्या श्रम (ए) 4–2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "मन्दिर और धार्मिक स्थान / धर्मशालाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2019 से संशोधित किया जाए।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम (ए) 4–2/2018, तारीख 24–04–2018 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 31–05–2019 को हुई थी, जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2019 को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2019 से उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :-

कर्मचारियों के प्रवर्ग	जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है	जहां भोजन, चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है
अकुशल :		
चपड़ासी, मसालची, ऑफिस ब्वाय, बेलदार	रु0 250.00 दैनिक	रु0 224.47 दैनिक
	या	या
	रु० ७,५०० मासिक	रु० ६,७३४ मासिक

अर्ध-कुशल :		
चपाती मैन, स्वीपर, रूम ब्वाय, कनिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट,	रु0 265.55 दैनिक	रु0 239.12 दैनिक
टेम्पल अटेन्डेंट, भोग रूम अटेन्डेंट, हॉल अटेन्डेंट,	या	या
सेवादार, सिक्योरिटी गार्ड, माली, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर,	रु० ७,९६७ मासिक	रु० ७,१७४ मासिक
एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट।		
कुशल :		
वरिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, रिसेपशनिस्ट, पुजारी, पण्डित,	रु0 294.17 दैनिक	रु0 268.37 दैनिक
कुक, मौलवी, ग्रन्थी, पादरी, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क,	या	या
क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर।	रु० ८,८२५.०० मासिक	रु० ८,०५१ मासिक
उच्च कुशल :		
सुपरवाईजर, सुपरिन्टेडेन्ट, रागी, बजन्त्री, भजन गायक,	रु० 307.12 दैनिक	रु0 282.40 दैनिक
स्टैनोग्राफर, एकाउन्टेन्ट।	या	या
	रु० ९,२१४ मासिक	रु० ८,472 मासिक

टिप्पणी :

- एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (क) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ख) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (ग) **कुशल**.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(घ) उच्च-कुशल.—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

> आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / — अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अगस्त, 2019

19. टोल टैक्स बैरियरों में कार्यरत कर्मकार :

संख्या श्रम (ए) 4–2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "टोल टैक्स बैरियरों में कार्यरत कर्मकारों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01–04–2019 से संशोधित किया जाए।

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पिठत धारा 5 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम (ए) 4—2/2018, तारीख 24—04—2018 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 31—05—2019 को हुई थी, जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01—04—2019 को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01–04–2019 से उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं :--

अकुशल :	न्यूनतम	मजदूरी
	दैनिक	मासिक
चपड़ासी, आफिस ब्वाय, मसालची	₹0 250.00	रु0 7500
अर्ध-कुशल :		
कैश कलेक्टर, अएसीसटेन्ट स्टोर कीपर, एसीसटेन्ट स्टोर	रु0 258.47	रु0 7754
मुन्शी, सिक्योरिटी गार्ड, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट।		
3. कुशल कर्मकार :		
इलैक्ट्रीशियन, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर	रु0 294.17	₹0 8,825
ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर।		
4. उच्च कुशल कर्मकार :		
सुपरवाईजर, सुपरिन्टेंडेंट, स्टैनोग्राफर, एकाउन्टेन्ट	₹0 354.50	रु0 10,635

टिप्पणी :

- 1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :-

- (क) अकुशल.—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्त्तव्यों का अनुपालन अन्तर्विलत है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ख) अर्द्ध-कुशल.—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (ग) **कुशल**.—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (घ) उच्च-कुशल.—-उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)। [Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018 dated 06-08-2019 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2019

1. **AGRICULTURE**:

No. Shram (A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of unskilled category of workers in the Scheduled employment of "**Agriculture**" may be revised with effect from 01-04-2019;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram(A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 31-05-2019 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2019.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 1-4-2019.

Un-skilled workers Rs. 250/- per day or Rs. 7500/- per month.

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed in piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribes Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled will be as under:—

(i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order,

NISHA SINGH, IAS, *Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).*

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018, dated 6th August, 2019 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2019

2. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR BUILDING OPERATIONS, STONE BREAKING & STONE CRUSHING:

No. Shram (A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Construction or Maintenance of Roads or Building Operations, Stone Breaking and Stone Crushing" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2019;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 31-05-2019 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2019.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 1-4-2019.

Category of Workers

Revised Wages

outegoil of Workers	ite (isea ()	uges
1	Daily 2	Monthly 3
UNSKILLED WORKERS:	Rupees	Rupees
Bhisthi/Chimini Cleaner/Chowkidar/Distemperer Grade-	250.00	7,500/-
II/Glazier/Helper for Plumber or Workshop/ Rock Cutting	20.00	,,000
Labour/Stone Breaker/Stone Chiseler/ Sweeper/Spray man		
for Bitumen/Pipelinemen/ Electrical Coolie/Security		
Guard/Beldar/Cleaner-Tractor & Road Roller & concrete		
mixer/ Majdoor/Survey Boy/Watchmen/Tea Boy/Peon/		
Dresser/Oilmen/Greaser/Messhelpers/Boy Helper (0 to 5		
1 , 1		
years)/Khalasi (0 to 3 years)/Bill Distributors/Mucker.		
CEMI CIVILI ED WODIZED	D	D
SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-II/Mason Grade-II/Sewer Man/Black Smith	267.00	8,010/-
Grade-II/Sanitary Fitter Grade-II/Painter/Melter Mate/		
Sprayman Roads/Craneman/Badhani/Upholster/Fitter		
Attendant/Black Smith (Boatman)/Caneman/Distempterer		
Grade-I/Fitter Grade-II/Flour Polisher/Stone Dresser/		
Mali/Well Sinker/White Washer/Work Shop Mechanic		
Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-II/Brick		
Moulder/Assistant Fitter/Assistant Fireman/ Assistant		

Welder/ Assistant Turner/ battery Charger/ Dresser/ (Qualified/Experienced)/Hammer Man/ Cook/ Vulcaniser/Nozzle Man/Tunnel Man/Alloy Trolley Operator/ Attendant (Store Office) Mechanical Attendant/Tunnel Jublliman/Tunnel Man/Helper (5 years and above) Oil Cleaner/Navgani/Mate/Head Watchman/ Assistant Leveler/ Khalasi (3 to 8 years)/stone Dresser/Pump Attendant/Auto Electrician Grade-II/Gardner/ Gauge reader/ Asstt. Lab Attendant/Auto electrician/ Motor Mate/Enquiry Attendant/ Telephone Attendant.

Stone Dresser/Stone Breaker/Rock Stone Breaker/Stone Carrier 1½ inch to 2 inch = Rs. 1482.20 per 100 cft 1 to 1¼ inch = Rs. 1653.31 per 100 cft.

SKILLED WORKERS:

Carpenter Grade-I/Mason Grade-I/Black Smith/ Sanitary Fitter Grade-I/Upholster Grade-I/Asstt. Pump Operator/ Pump Operator/Pump Driver/ Chargeman Grade-II/Water Supply Fitter/Carpenter Grade-II/Compressor Operator/ Compressor Driver/ Darji or Tailor Grade-I/Darji or Tailor Grade-II/ Crasher Driver/Stone Dresser for ornamental work/ Plumber Grade-I/Pipe Fitter Grade-I/Auto Driver/ Asstt. Mechanic/Mixer Driver/Mixer Operator/ Structural Fitter Grade-II/Workshop Fitter/Generator Operator/Generator Driver/Plant Shop Fitter/Diesel Engine Fitter/Trolley Line Fitter/ Crushing Plant Fitter/B. Plant Fitter/Jack Hammer Fitter/Electrical Fitter/Bunch Fitter/Shaper/Auto Fitter/Pipe Line Fitter/Refrigerator Plant Fitter/ Tractor Operator/Shaft Minor/Kochring Operator/ Dozer Operator/Roclain Operator/Scrapper Operator/Loader Operator/Crane Operator/Eucild Operator/Wagon Drill Operator/Boaring Operator/SLD crane Operator/B. Plant Operator/Ice Plant Operator or Welder/Gas Cutter /turner/Black Smith/ Tin Smith/Traction Battery Charger/ Line Man/ Telephone Operator/Khalsi/Jamadar/Winder/ Blaster Driller/Winch Fitter/Compounder/Painter/ Miller/ Climber/Moulder/ Levellers/Saw Mill Cutter/ Cable Jointer/Foreman Grade-II/Khalasi (8 years to above)/Tracer Operator/ E.M.E./ Driver/Compressor/Rocker Showel Operator/Snow Cutter Operator/Loco Operator/Driller Mason for Glazed Type work/Work Mistry/Motor Mate/Tractor Driver/ Telephone Mechanic/D.G. Set Operator/ Workshop Forman Grade-II.

HIGHLY SKILLED

Carpenter for furniture only/Workshop Mechanic Grade-I/Chargeman Grade-I/Workshop Foreman Grade-I/Turner Grade-I/Mechanic All Round Operator/Mason/Mistry and Carpenter Mistry/Structural Fitter Grade-I/ Surveyor/Draftsman/Assistant Foreman/Machinist/Compounder (Qualified) Road Roller Driver/Bulldozer Driver/ Wireman/Auto Electrician/Electrician/Chemical Analyser.

Rupees 294.17 **Rupees** 8.825/-

Rupees Rupees 354.50 10,635/-

Clerical and Non-Technical Supervisory Staff	Rupees	Rupees
Bituman Tyre Inspector/Road Inspector/Work	294.17	8,825/-
Inspector/Store Keeper/Store Munshi/ Supervisor/Meter		
Reader/ Ledger Booking Clerk/Bill Clerk/Irrigation Booking		
Clerk/Patwari/Complaint Attendant/Ferro Printer/Driver		
(Jeep/Car/Tractor) Clerk/Mechanical Inspector/Assistant		
Store Keeper/ Accounts Clerk/Stenographer.		

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non-Tribal Areas.
- 7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the 'Under Construction Hydro-Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled.—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled**.—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

NISHA SINGH, IAS, *Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).*

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 6th August, 2019 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2019

3. PUBLIC MOTOR TRANSPORT

No. Shram (A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Public Motor Transport" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2019;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 31-05-2019 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2019.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 01-04-2019.

GENERAL STAFF UNSKILLED:

(a) Peon, Chowkidar, Store Helper, Sweeper, porter, Daftri

Rs. 250/- per day or
Rs. 7,500/- per month

(b) Workshop Staff (Un-skilled)

(c) Workshop Mazdoor without having any experience Rs. 250/- per day or Rs. 7,500/- per month

SEMI-SKILLED:

1. Asstt. Electrician Rs. 260.17 per day or Rs. 7,805/- per month

2. Asstt. Mechanic

3. Asstt. Fitter

- 4. Asstt. Black Smith
- 5. Asstt. Carpenter
- 6. Asstt. Welder
- 7. Asstt. Turner
- 8. Asstt. Boaring Barman
- 9. Asstt. Machinist
- 10. Asstt. Cushion Maker
- 11. Asstt. Volcanisor
- 12. Asstt. Painter
- 13. Asstt. Upholster
- 14. Asstt. Tyreman
- 15. Asstt. Sprayman
- 16. Asstt. Electrician Mechanic
- 17. Asstt. Retrader
- 18. Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma.
- 19. Assistant Moulders

SKILLED:

Machanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Welder, Boring wireman, Machanist, Cusion Maker, Tinsmith, Volcanizer, Painter, Upholster, Tyreman, Spray Painter, Electrician Machanic, Retreader, Moulder, Turner, Workshop Mazdoor having ITI certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma. The ITI certificate holder who are working in the same trade.

Rs. 286.52 per day or Rs. 8,596/- per month.

HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF:

Head Mechanic, Carborator/ Head Electrician/ Garrage Supervisor.

Rs. 320.50 per day or Rs. 9,615/- per month.

GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC.:

Group-A

Out Agent, Out Agency Clerk, Typist, Steno Typist, Store day book Writer, Clerk, Assistant Cashier, Booking Clerk (Restorer), Ledger Keeper, Petrol Pump Attendant.

Rs. 286.52 per day or Rs. 8,596/- per month.

Group-B

Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker, Stenographer A Grade, Station Supervisor, Assistant Store-Keeper A Grade, Accountant, Cashier, Tyre Inspector.

Rs. 302.50 per day or Rs. 9,076/- per month.

Per Day Permonth

Group-C

Head Assistant, Head Clerk, Auditor, Head Cashier	Rs. 361.25 per day or
	Rs. 10,838/- per month.

RUNNING STAFF:

1.	Driver	Rs. 324.12	Rs. 9,724/-
2.	Conductor	Rs. 293.60	Rs. 8,808/-
3.	Cleaner-cum-Conductor	Rs. 273.12	Rs. 8,194/-
4.	Part-Time Booking Clerk	Rs. 143.72	Rs. 4,312/-

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of un-skilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An un-skilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

NISHA SINGH, IAS, *Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).*

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018, dated 6th August, 2019 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2019

4. SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT:

No. Shram (A)4-2/2018 .—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Shops & Commercial Establishments" may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2019;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 31-05-2019 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2019.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 01-04-2019.

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un-skilled:	Rupees	Rupees
Helper/Shop Assistant/ Pelledar/ Chowkidar/	Rs. 250/-Daily	Rs. 224.47 Daily
Peon/Sweeper/Masalchi/Gateman/Waterman/		•
Cleaner/ Packer/Mazdoor/ Lander/ Unlander/	or	or
Messanger/ Clock Room Attendant/ Porter/		

Bhishit/ Beldar/ Fireman/ Pandi/ Posterman/ any other worker doing unskilled job.

Semi-Skilled

Head Porter, Pantryman/Coffee-Teamaker/ Chapatiman/Assistant Baker/Gate Keeper (Cinema)/Asstt. Lineman/Assistant Operator/ Binder Assistant/ Bill Collector/Convesser/ Cook/Assistant Halwai/Book Binder/Sticher/ Rulling-Cutting/Auctioners/Mali/Sewerman/ Hotel Guide/ Assistant Mistry/Assistant Fitter/Assistant Turner/ Assistant Welder/ Assistant Electrician/ Assistant Salesman/ Assistant Barbar/ Dhobi, Pressman/ Boilerman/Film Rewinder/ Waiter, Bearer, Machanic/Painter/White Assistant Radio Washer/Pakora and Chana maker/Clerk (Non-matric). Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant Machineman/ Enquiry Attendent/ Telephone Attendent, ITI Certificate Holder.

Rs. 7,500/ Rs. 6,734/- Monthly Monthly.

Rupees Rupees

Rs. 265.55 Daily Rs. 239.12 Daily

or or

Rs. 7,967/- Rs. 7,174/- Monthly

Monthly.

Skilled:

Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio Carpenter/Plumber/Driver/ Mechanic/ Assistant Tailor/ Cutter (Tailoring)/General Confectioner/ Mechanic/Halwai/Cook/ Baker/Steward/Butler/Fitter/Draughtsman/ Telephone Operator/Compounder/ Goldsmith/Shoe Maker/Shawl-Carpet Weaving/Compositor/Cinema Operator/ Salesmen/Drycleaner/Dyer/ Barber/Regular Machineman/Machinist/Welder/ Moulder/ Cashier/Clerk/(Matric) Munim/ Receptionist/ Waiter/Bearer/ Storekeeper/ Headwaiter/ Head Bearer (Western Style Hotels)/ Lineman. ITI certificate holder who are working in the same trade.

Rupees Rupees

Rs. 294.17 Daily Rs. 268.37 Daily

or or

Rs. 8,825/- Rs. 8,051/- Monthly.

Monthly.

Highly Skilled

Store Keeper/ Clerks (Graduates)
Accountant /Head Cashier/ Head Cook/
Head Butler/Head Baker/ Head
Confectioner/Head Mechanic/ Electrician/
Foremen/Supervisor/ Tailor/Cutter
(Tailoring).

Rupees		Rupees
Rs.	307.12	Rs. 282.40 daily
Daily.		
0	r	or
Rs. 9,21	4/-	Rs.8,472/-
Monthly		Monthly

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).

- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi skilled/skilled/highly skilled will be as under:—

- (i) Un-skilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

NISHA SINGH, IAS, *Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).*

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018, dated 6th August, 2019 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2019

5. FORESTRY INDUSTRIES:

No. Shram (A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Forestry Industries" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2019;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 31-05-2019 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2019.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2019 as per recommendations of the said Committee as under:—

	Category of Workers Revised Minimum V		num Wages
		Daily	Monthly
	UNSKILLED WORKERS:		
1.	Felling of trees:	Rs. 250.00	Rs. 7,500/-
	1. Lopper (Changi)	Rs. 265.55	Rs. 7,967/-
	2. Feller (Garani)	Rs. 256.12	Rs. 7,684/-
2.	Logging and sawing including timber passing:		
	 Dresser (Panchani) Sawyer (Charani) Blacksmith 	Rs. 256.12 Rs. 320.50 Rs. 299.40	Rs. 7,684/- Rs. 9,615/- Rs. 8,982/-
3.	Carriage stacking and timber passing by manual labour:		
	 Mazdoor for carriage Mazdoor for loading and unloading of timber 	Rs. 256.12 Rs. 256.12	Rs. 7,684/- Rs. 7,684/-
4.	Carriage of timber by Aerial ropeways:		
	1. Span Mistry-cum-Supervisor	Rs. 320.50	Rs. 9,615/-
	2. Span Mistry	Rs. 299.40	Rs. 8,982/-
5.	Carriage by water slide (pucci Nalli) dry slide (Pathru), l (River floating):	Nullah Bhaan I	Darya Bahaan
	1. Mohri-wala Mistry	Rs. 345.15	Rs. 10,355/-
	2. Taru	Rs. 330.27	Rs. 9,908/-
	3. Asstt. Mistry/ Helper Mistry	Rs. 307.12	Rs. 9,214/-
	4. Darya-man	Rs. 330.27	Rs. 9,908/-

	राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अगस्त, 2019/05	भाद्रपद, १९४१	5169
	5. Ghalu	Rs. 277.17	Rs. 8,315/-
	6. Jamadar	Rs. 277.17	Rs. 8,315/-
6.	Mechanised logging and timber extraction:		
	1. Surveyor	Rs. 322.57	Rs. 9,677/-
	2. Ski-line Operator	Rs. 299.40	Rs. 8,982/-
	3. Truck Driver	Rs. 279.30	Rs. 8,379/-
	4. Compressor Driver	Rs. 279.30	Rs. 8,379/-
7.	Clerical Staff:		
	1. Manager	Rs. 375.12	Rs. 11,254/-
	2. Accountant	Rs. 283.97	Rs. 8,519/-
	3. Munshi/ Typist clerk	Rs. 256.12	Rs. 7,684/-
8.	Saw Mill Workers:		
9.	 Band Saw Mistry Supervisor Head Mistry Boiler Driver Assistant Mistry Planner Mistry Helper Cutter man Katha Extraction:	Rs. 299.40 Rs. 296.29 Rs. 299.40 Rs. 299.40 Rs. 260.17 Rs. 260.17 Rs. 256.12 Rs. 256.12	Rs. 8,982/- Rs. 8,889/- Rs. 8,982/- Rs. 7,805/- Rs. 7,805/- Rs. 7,684/- Rs. 7,684/-
•		D = 257 12	D - 7 (04/
	 Feller and Chipper Katha Supervisor/Katha Processor 	Rs. 256.12 Rs. 255.55	Rs. 7,684/- Rs. 7,667/-

Highly Skilled:

Boiler Attendant (1st Class) Overseer, Head Foreman= Rs. 354.50 Daily or Rs. 10,635.00 Monthly.

NOTE:

There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.

- Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 2. of 1961).
- Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled.—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

NISHA SINGH, IAS, *Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).*

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 6th August, 2019 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2019

6. CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS:

No. Shram (A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Chemical & Chemical Products" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2019;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 31-05-2019 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2019.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 1st April, 2019 as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers

Revised minimum rates

Unskilled: Rs. 250.00 Daily or

Rs. 7,500/- Monthly

Semi-Skilled:

Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Turner, Assistant Welder, Assistant Moulder, Assistant Plant Operator, Assistant Blacksmith, Assistant Copperman, Reirrigation, Assistant, Jamadar, Eastman, East cultivator, Switch Board Attendant, Wireman, Postalman, Fireman, Oilman, Pumpman Grade-I, Machine Levellor, Selector, Cutter-cum-Market Seller/Empular, Hageman, ITI Certificate Holder.

Rs. 258.47 Daily or

Rs. 7,754/- Monthly

Skilled

Saltman, Electrician, Fitter, Copperman, Turner, Moulder, Blacksmith, Plant Operator, Mason, Carpenter, Assistant Foreman, Head Jamadar, Boiler Attendant Grade-II, Workshop Foreman, Electrician Foreman, Engine Driver, Draughtsman, Assistant Chemist, Machineman, Cashier/Clerk (Matriculate), Salesman, Receptionist, Typist, Store-Keeper ITI certificate holder who are working in the same trade.

Rs. 294.17 Daily or

Rs. 8,825/- Monthly

Highly Skilled:

Boiler Attendant (First-Class) Overseer, Head Foreman

Rs. 354.50 Daily Rs. 10,635/- Monthly

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).

- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:

- (i) Un-skilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

NISHA SINGH, IAS, *Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).*

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018, dated 6th August, 2019 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2019

7. ENGINEERING INDUSTRIES:

No. Shram (A) 4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Engineering Industries" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2019.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 31-05-2019 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2019.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 1st April, 2019 as per recommendations of the said Committee as under:—

Un-skilled:

Rs. 250.00/- Daily or Rs. 7,500/- Monthly

Semi-skilled:

Taper Grade-III, Turner Grade-III, Driller Grade-III, Romer Grade-III, Shareman Grade-III, Machineman, Machinist/Operator Grade-III/, Bragar Grade-III, Head Spinning Winder/Liner Grade-III, Press Operator Grade-III, Spray Painter Grade-III, Transfer Fixer Grade-III, Assembler Grade-III, Cobbler, Rubber Rosin Cutter, Tailor Grade-III, Material Checker, Fitter Frame, Numberingman, Frame Sender, Electroplater Grade-III, Mopper Grade-III, Grinder Grade-III, Pickler, Polishman, Buferman, Head Mechanic, Operator Grade-III, Thread/Roller Operator Grade-III, Book-screw Machine Operator Grade-III, Feeder Grade-III, Dye Maker Grade-III, Welder Grade-III, Tinsmith Grade-III, Pipe Reader, Hammerman Grade-III, Electric Lineman Grade-III, Voucher Inspector Grade-III, Lister Diesel Engine Driver Grade-III, Oilman.

Rs. 258.47 Daily or Rs. 7,754/- Monthly

Skilled:

Taper Grade-II, Turner Grade-II, Driller Grade-II, Shaper Grade-II, Shaperman Grade-II, Slaughterman Grade-II, Operator/Brager Grade-II, Liner Grade-II, Spray Painter Grade-II, Transfer Mixer Grade-II, Press Operator Grade-II, Assembler Grade-II, Tailor Grade-II, Electroplater Grade-II, Moper Grade-II, Grinder Grade-II, Head Machine Operator-II, Thread and Roller Machine Operator Grade-II, Book Screw Machine Operator Grade-II, Gold Draw Machine Operator Grade-II, Fitter Grade-II, Carpenter/Pattern Maker Grade-II, Dye Maker Grade-II, Saister Grade-II, Welder Grade-II, Tinsmith Grade-II, Hammerman Grade-II, Blacksmith Grade-II, Tool Setter Grade-II, Electrical Lineman Grade-II, Electrician Grade-II, Armature Winder and Coil Winder Grade-II, Cable Jointer Grade-II, Voucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-II, Moulder Grade-II, Supervisor, ITI Certificate Holder who are working in the same trade.

Rs. 294.17 Daily or Rs. 8,825/- Monthly

Highly Skilled:

Turner Grade-I, Grinding Machine Operator Grade-I, Shaperman Grade-I, Slaughter Man Grade-I, Miller Grade-I, Electroplater Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-I, Fitter Grade-I, Carpenter/Pattern Maker Grade-I, Dye Maker Grade-I, Engraver Grade-I, Blacksmith Grade-I, Dye Setter Grade-I, Tool Setter Grade-I, Electrician Grade-I.

Rs. 354.50 Daily or Rs. 10.635/-Monthly

Clerical Staff:

Cashier (Matriculate) Clerk, Salesman, Typist Storekeeper

Rs. 270.02 Daily or Rs. 8,101/- Monthly.

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

NISHA SINGH, IAS, *Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).*

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018 dated 6th August, 2019 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2019

8. TEA PLANTATION:

No. Shram (A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Tea Plantation" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2019;

And whereas as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018.

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 31-05-2019 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2019.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 1st April, 2019 as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers Revised Minimum Wages

Field workers in Tea Plantation employed on plantation up rooting, spraying, manufacturing, shade lopping, hocing, pruning weeding, plucking *etc*. known as unskilled workers employed in the operation.

Rs. 250.00 Daily or Rs. 7,500/- Monthly

A-Grade Leaves.—If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 18.08 per kilogram extra as incentive.

B-Grade Leaves.—If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 14.31 per kilogram extra as incentive.

C-Grade Leaves.—If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get Rs 10.66 per kilogram extra as incentive.

The piece rates workers employed for plucking will get Rs. 18.08, Rs. 14.31 and Rs. 10.66 per kilogram for ABC grade of tea leaves respectively.

SEMI-SKILLED: Workers engaged in Tea Factory & Tea Plantations. Rs. 254.56 per day or Rs. 7,637/- per month.

FACTORY:

Include lift Mazdoor withering Mazdoor, relling room workers, shifting Mazdoor, Rs. 250.00 daily or Rs. 7,500/- Monthly Fermenting room workers, tea boys, sorters, tea makers, time keeper and carriers (jhalli).

PLANTATION:

Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant, Muharirs etc. who maintain records of a field work and also includes Sweeper, Mali & Mate.

Rs. 250.00 daily or Rs. 7,500/- Monthly

CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF

OFFICE STAFF:

1.	Accountant	Rs. 395.22	Rs. 11,857/- per raccommodation.	month plus free
2.	Clerks	Rs. 294.17	Rs. 8,825/- per naccommodation.	nonth plus free
3.	Munshi	Rs. 309.53	Rs. 9,286/- per month plus free benefits as admissible to clerk.	
4.	Peon, Chowkidar/ Chaudhary	Rs. 254.57	Rs. 7,637/- per month as admissible.	n plus free benefit
			Daily	Monthly
5.	Compounder		Rs. 364.27	Rs.10,928/-
6.	Driver (Jeep/Car/Tractor)		Rs. 324.12	Rs. 9,724/-
7.	Mechanic		Rs. 367.40	Rs. 11,022/-
8.	Assistant Mechanic		Rs. 322.57	Rs. 9,677/-
9.	Electrician- <i>cum</i> -Mechanic, Grade-I		Rs. 367.40	Rs.11,022/-
10.	Electrician- <i>cum</i> -Mechanic, Grade-II		Rs. 322.57	Rs. 9,677/-

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).

- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled will be as:

- (i) Skilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

By order,

NISHA SINGH, IAS, Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018, dated 6th August, 2019 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 06th August, 2019

9. ESTABLISHMENTS WITH MANUFACTURING PROCESS AS DEFINED IN CLAUSE (K) OF SECTION-2 OF FACTORIES ACT, 1948:

No. Shram (A)4-2/2018 .—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Manufacturing Process as Defined in Clause (K) of Section 2 of Factories Act, 1948" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2019.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 31-05-2019 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2019.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 1st April, 2019 as per recommendations of the said Committee as under:—

Unskilled Workers Rs. 250.00 per day or Rs. 7,500/- per month

Semi-Skilled Rs. 258.47 per day or Rs. 7,754/- per month

Skilled & Clerical Staff Rs. 294.17 per day or Rs. 8,825/- per month

Highly-Skilled Rs. 354.50 per day or Rs. 10,635/- per month

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-Skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled.—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

provided

NISHA SINGH, IAS, *Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).*

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018, dated 6th August, 2018, as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2019

10. HOTEL AND RESTAURANTS:

No. Shram (A)4-2/2018.— Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Hotel and Restaurants" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2019;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 31-05-2019 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2019.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2019 as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers

Revised Wages
Where no benefit is provided and combined accommodation

UN-SKILLED: Rupees Rupees

Helper/Chowkidar/Peon/ Sweeper/Masalachi/ Rs. 250.00 Daily Rs. 224.47 Daily Gateman/Waterman/ Messenger/Clock Room or or Attendant/ Poter/Bhishti/Beldar/Fireman/Pandi/ Rs. 7,500.00 Monthly Rs. 6,734/- Monthly Posterman/any worker doing un-skilled job.

SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees
Pantryman /Coffee-Tea Maker/ Chapatiman/ Assistant Baker/Cook/ Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher /Ruling Cutting/ Auctioners/ Mali /Hotel Guide /Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Sewerman/ Assistant Turner /Assistant Welder/ Assistant Electrician/ Assistant Salesman/ Assistant Barber/ Dhobi, Pressman/ Boilerman/Film Rewinder/ Water Bearer/ Assistant Radio Mechanic/ Painter/ White Washer/ Pakora and Chana Maker/Clerk (Non-Matric), Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant Machinman Enquiry Attendant, Telephone Attendant ITI certificate holder who are working in the other trade.	or	Rs. 240.11 Daily or Rs. 7,203/- Monthly

Rupees

Driver/Halwai/Cook/Confectioner/Baker/ Steward/	Rs. 294.17 Da
Butler/Draughtsman/Telephone Opera-	or

tor/Receptionist/Waiter/Bearer/Store Keeper/ Head Rs. 8,825/- Monthly Waiter/Head Bearer (Western Style Hotel) ITI certificate holder who are working in the same trade.

SKILLED WORKERS:

Rs. 294.17 Daily or Rs. 268.37 Daily or Rs. 8,825/- Monthly Rs. 8,051/- Monthly

Rupees

Rupees

Highly Skilled: Rupees

Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant/ Head Cashier/ Head Cook/Head Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head Mechanic/ Electrician/Foremen/ Supervisor/ Tailor/Cutter (Tailoring).

Rs. 307.12 Daily or Rs. 282.40 Daily or Rs. 9,214/- Monthly Rs. 8,472/- Monthly

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

NISHA SINGH, IAS, Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 6th August, 2019 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2019

11. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTES:

No. Shram (A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Private Educational Institutes" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 1st April, 2019.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 31-05-2019 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2019.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2019 as per recommendations of the said Committee as under:—

Unskilled Workers Rs. 250.00 per day or Rs. 7,500/- per month

Semi-skilled Rs. 265.55 per day or Rs. 7,967/- per month

Skilled Rs. 294.17 per day or Rs. 8,825/- per month

Highly skilled Rs. 307.12 per day or Rs. 9,214/- per month

NOTE:

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.

- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

NISHA SINGH, IAS, *Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).*

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 6th August, 2019 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2019

12. HYDRO POWER PROJECTS:

No. Shram(A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Hydro Power Projects" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 1st April, 2019.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 31-05-2019 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2019.

Now, therefore, in exercise of the power conferred of sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2019 as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Minimum	Wages
	Daily	Monthly
UN-SKILLED WORKERS:	Rs.	Rs.
Peon, Helper to Pump Operator, Helper to Concrete Pump	250.00	7.500/-

Operator, Pump Attendant, Helper to JWR Crane Operator, Helper to Plant Operator, Helper to Excavator Operator, Helper to Concreting Plant Operator, Helper to Loader Operator, Helper to TAMROCK Operator, Helper to Mechanic, Helper to Turner, Helper to Electrician, Helper to Auto Electrician, Helper to Welder, Helper to Fitter, Helper to Carpenter, Helper to Heavy Motor Vehicle Driver, Helper to Khalasi, Compressor Attendant, Generator Attendant, TM Attendant, Helper to Concrete Mixture Plant Operator, Helper to Fireman, Helper to Stone Dresser, Helper to Head Watchman, Helper to Laboratory Assistant, Helper to Gauge Reader, Helper to Time Keeper, Helper to Diesel Generator Set Operator, Helper to Generator Operator, Helper to Wireless Operator, Helper to Engine Fitter, Helper to Diesel Engine Fitter, Helper to Pipe Fitter, Helper to Pujari, Cleaner-cum-Beldar, Washerman / Washermaid, Office Boy, Clay Cleaner, Helper Boomer, Helper to Automobile Fitter, Masalchi, Air Conditioning Plant Helper, Helper to Supervisor, Mess Helper, Sweeper.

SEMI-SKILLED WORKER:

Junior Pump Operator, Junior Concrete Pump Operator, 267.00 Junior JWR Crane Operator, Junior Plant Operator, Junior Nozzleman, Junior Excavator Operator, Junior Concreting Plant Operator, Junior Loader Operator, Junior TAMROCK Operator, Junior Mechanic, Junior Auto Electrician, Junior Welder, Junior Fitter, Junior Tyre Fitter, Junior Painter, Junior Plumber, Junior Denter, Junior Carpenter, Security Guard, Khalasi(3 Years Experience), Junior Compressor Attendant, Generator Attendant, Locomotive Attendant, Concrete Mixture Attendant, Assistant Fireman, Stone Dresser, Laboratory Assistant, Gauge Reader, Time Keeper, Diesel Generator Set Operator, Generator Operator, Wireless Operator, Junior Diesel Engine Fitter, Junior Pipe Fitter, Telephone Attendant, Assistant Surveyor, Office Attendant, Junior Oiler, Junior Driller, Junior JCB Operator, Junior Scrapper, Pujari, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Junior Electrician, Mali

267.00 8,010/-

SKILLED WORKERS:

Dozer Operator, Grader Operator, Loader Operator, Batching Plant Operator, Crushing Operator, Excavator Operator, CMT Crane Operator, 26 Tonne Dumper Operator, Plant Operator, Gantry Operator, JCB Operator, Locomotive Operator, Tamrock/Jambu Operator, Mechanic, Turner, Welder, Driller, Nozzleman, Fitter, Steel Fixer, Blacksmith, Blaster, Carpenter, Auto Electrician, Painter, Denter, Mason, Plumber, Bar Binder, Tyre Fitter, CMT Operator, AC Plant Operator, Merlo Operator, Work Inspector, Supervisor, Camp-Incharge, Non-Technical Supervisor (Mining Blasting), Driver, Mobile Crane Operator, Bacoh Operator, Hydro Crane Operator, Surveyor, Scrap Operator, Bobcat Operator, Scoop Operator, Garroting Pump Operator, Morter Binder, Data Entry Operator, Cashier, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Cook, Khalasai (more than 5 years experience), Dhobi.

294.17 8,825/-

HIGHLY SKILLED:

Senior Crane Operator, Senior Batching Plant Operator, Senior Trailer Operator, Senior Dumper Operator, Tunnel Boring Machine Operator, Senior Plant Operator, Senior Heavy Earth Moving Machine Operator, Senior Dozer Operator, Senior Loader Operator, Senior CE Plant Operator, Senior Carpenter, Senior Mechanic, Senior Driller, Senior Black Smith, Senior Electrician, Senior Bar Binder, Senior Auto Electrician, Senior Fitter, Senior Turner, Senior Welder, Senior Denter, Driver (Heavy Transport Vehicle), Tower Crane Operator, Senior Welder X-Ray, Cable Jointer, Senior Blaster, 40 Tonne Dumper Operator, Senior Jumbo Operator, Foreman, Gunman, Senior

354.50 10,635/-

A.C. Plant Operator, Workshop Mechanic, Compounder, Chemical Analyser, Laboratory Assistant, Pharmacist, Nurse, Stenographer, Accountant, Khalasi (Above 8 Years Experience).

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
- 7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the 'Under Construction Hydro-Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled.—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled.—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

NISHA SINGH, IAS, *Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).*

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 6th August, 2019 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2019

13. PHARMACEUTICALS' INDUSTRIES:

No. Shram(A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Pharmaceuticals' Industries" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 1st April, 2019;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No.Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 31-05-2019 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2019.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2019 as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Minimum Daily	Wages Monthly
Unskilled:		
Packing Helper, Machine Helper, Laboratory Helper, Store Helper, House Keeping Helper, Peon.	Rs. 250.00	Rs.7,500/-
Semi-Skilled:		
Technician (D.Pharma), Fitter (ITI), Maintenance (ITI), PW Operator, Mali, Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	Rs.258.47	Rs. 7,754/-

Skilled;

Officer (B.Pharma), Technical Supervisor (ITI Diploma, D Rs. 294.17 Rs. 8,825/-Pharma), Operator, Security Supervisor, Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.

Highly Skilled:

Sales Officer, Sales Executive, Sales Promotion Employee, Rs. 354.50 Rs. 10,635/-Medical and Sales Representatives, B. Pharma, Accountant B.Sc. Chemist, M.Sc. Chemist, Stenographer.

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

NISHA SINGH, IAS, Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 6th August, 2019 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2019

14. HOSPITALS/NURSING HOMES & CLINICS:

No. Shram(A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Hospitals/Nursing Homes & Clinics" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 1st April, 2019;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No.Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 31-05-2019 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2019.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2019 as per recommendations of the said Committee as under:—

Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Rs.	Rs.
250.00 Daily	224.47 Daily
7,500/-Monthly	6,734/- Monthly
265.55 Daily	239.12 Daily
7,967/- Monthly	7,174/-Monthly
294.17 Daily	268.37 Daily
8,825.00 Monthly	8,051/- Monthly
	Rs. 250.00 Daily 7,500/-Monthly 265.55 Daily 7,967/- Monthly

CSSD Assistant, Operation Theatre Technician, Eye Refractionist, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier, Fitter, Plumber, Supervisor, Cook, Dhobi, Ward Boy/Ward Attendant (above 3 years Service).

Highly Skilled:

Staff Nurse, Security Supervisor, Senior Electrician,

Senior Technician, Senior Radiographer, Senior

Compounder. Accountant, Stenographer.

307.12 Daily 282.40 daily

9,214/- Monthly 8,472/-Monthly

NOTE:

- There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult 1. or non-adult for the same and similar nature of work.
- Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 2. of 1961).
- Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 25% increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled.—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled.—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

NISHA SINGH, IAS, Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018, dated 6th August, 2018 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2019

15. DOMESTIC WORKERS:

Shram(A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Domestic Workers**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **1st April, 2019**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No.Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 31-05-2019 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2019.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2019 as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Unskilled:	Rs.	Rs.
Helper, Aya, Cleaner, Masalchi, Watchman, Washerman.	250.00 Daily 7,500.00 Monthly	196.00 Daily 5,880/- Monthly
Semi-Skilled:		
Security Guard, Mali	265.55 Daily 7,967/-Monthly	206.88 Daily 6,206/- Monthly
Skilled:		
Cook, Driver	294.17 Daily 8,825/- Monthly	226.92 Daily 6,808/- Monthly

NOTE:

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non adult for the same and similar nature of work.

- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

NISHA SINGH, IAS, Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018, dated 6th August, 2019 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2019

16. SAFAI KARAMCHARI EMPLOYMENT:

Shram(A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Safai Karamchari Employment" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 1st April, 2019;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No.Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018.

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 31-05-2019 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2019.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2019 as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Minim	um Wages
Unskilled:	Daily	Monthly
Sweeper/Safai Karamchari, Beldar, Cartman,	Rs. 250.00	Rs. 7,500/-
Semi Skilled:		
Work Supervisor, Sanitary Jamadar, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	Rs. 258.47	Rs. 7,754/-
Skilled:		
Driver, Mason, Plumber, Storekeeper, Accounts Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.	Rs. 294.17	Rs. 8,825/-
Highly Skilled;		
Jr. Engineer, Sanitary Inspector, Stenographer	Rs. 394.50	Rs. 10,635/-

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled:**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

NISHA SINGH, IAS, *Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).*

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018, dated 6th August, 2019 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2019

17. SECURITY SERVICES:

Shram(A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Security Services" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 1st April, 2019;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 31-05-2019 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2019.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2019 as per recommendations of the said Committee as under:—

Un-Skilled:	Daily	Monthly
Helper, Watchman	Rs. 250.00	Rs. 7,500/-
Semi-Skilled:		
Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	Rs. 258.47	Rs. 7,754/-
Skilled;		
Security Supervisor, Head Watchman, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.	Rs. 294.17	Rs. 8,825/-
Highly Skilled:		
Security Officer, Security Manager, Stenographer, Accountant.	Rs. 354.50	Rs. 10,635/-

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 6. 25% increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non-Tribal Areas.
- 7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro-Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Skilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(iv) Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

NISHA SINGH, IAS, *Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).*

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018, dated 6th August, 2019 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 2019

18. TEMPLES AND RELIGIOUS PLACES/DHARAMSHALAS:

Shram(A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Temples and Religious Places/Dharamshalas" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 1st April, 2019;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 31-05-2019 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2019;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2019 as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Unskilled	Rs.	Rs.
Peon, Masalchi, Office Boy, Beldar	250.00 Daily or 7,500.00 Monthly	224.47 Daily OR 6,734/- Monthly
Semi-Skilled:		
Chapatiman, Sweeper, Room boy, Junior Guest Attendant, Temple Attendant, Bhog Room Attendant, Hall Attendant, Sewadar, Security Guard, Mali, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	265.55 Daily or 7,967/- Monthly	239.12 Daily or 7,174/- Monthly
Skilled:		
Senior Guest Attendant, Receptionist, Pujari, Pandit, Cook, Maulvi, Granthi, Padri, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.	294.17 Daily or 8,825/- Monthly	268.37 Daily or 8,051/- Monthly
Highly Skilled:		
Supervisor, Superintendent, Ragi, Bajantri, Bhajan Singer, Stenographer, Accountant.	307.12 Daily or 9,214/- Monthly	282.40 Daily or 8,472/- Monthly

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled:—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled:—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

NISHA SINGH, IAS, *Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).*

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-2/2018, dated 6th August, 2019 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 6th August, 2019

19. WORKERS WORKING IN TOLL TAX BARRIERS:

Shram(A)4-2/2018.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Workers Working in Toll Tax Barriers" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 1st April, 2019;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A)4-2/2018, dated 24-04-2018;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 31-05-2019 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended *w.e.f.* 01-04-2019.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 1st April, 2019 as per recommendations of the said Committee as under:—

			Minin	num Wages
			Daily	Monthly
Unskilled World	kers :			
Peon, Office Bo	y, Masalchi		Rs. 250.00	Rs. 7,500/-
Semi-skilled:				
	Cash Collector, Assis Munshi, Security C	± '	Rs. 258.47	Rs. 7,754/-
Skilled:				
•	orekeeper, Account ator, Data Entry Oper		Rs. 294.17	Rs. 8,825/-
Highly-Skilled:				
Supervisor, Accountant.	Superintendent,	Stenographer,	Rs. 354.50	Rs. 10,635/-

NOTE:

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

(i) Unskilled.—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

- (ii) Semi-skilled.—A semi-skilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

NISHA SINGH, IAS, Additional Chief Secretary (Lab. & Emp.).

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 अगस्त, 2019

संख्या एफ0डी0एस0-ए0(3)-9/2016.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत सरकार में पुर्वेत्तर कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) आदेश जी० एस० आर0-800, तारीख 9 जून, 1978 और उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति और सहकारिता विभाग) आदेश एस० ओ० 681(ई) और 682(ई) तारीख 30 नवम्बर, 1974 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार द्वारा, उपभोक्ता मामले, खाद्य, एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) नई दिल्ली के जी० एस० आर० 213 (ई) तारीख 20 मार्च, 2015 द्वारा जारी लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश, 2015 के खण्ड 9 में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ० डी० एस०-ए०(3)-9/2016, तारीख 5 मार्च, 2019 द्वारा अधिसूचित और 20 मार्च, 2019 को ई-राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाते हैं; अर्थात् :--

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.——(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) प्रथम संशोधन आदेश, 2019 है।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर होगा।
 - (3) यह राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- 2. खण्ड 3 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियम) आदेश, 2019 के खण्ड 3 में,—
 - (i) उप-खण्ड (7) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

''प्राधिकार पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा और यह पांचवें वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगा।''। (ii) उप—खण्ड (12) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :--

''प्राधिकार को उप—खण्ड (6) में विनिर्दिष्ट प्राधिकार फीस जमा करने पर एक समय पर पांच वर्ष तक नवीकृत किया जा सकेगा।''।

आदेश द्वारा.

ओंकार चन्द शर्मा, प्रधान सचिव (खा० ना० आ० एवं उ० मामले)।

[Authoritative English text of this Department Order No. FDS-A (3)-9/2016, dated 20-08-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th August, 2019

No. FDS-A(3)-9/2016.—In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the Government of India formerly Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of food) Order GSR-800, dated 9th June, 1978 and Ministry of Industries and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Co-operation) Order S. O. 681(E), and 682(E) dated 30th November, 1974 and in pursuance of directions given in clause-9 of the Targeted Public Distribution (Control) Order, 2015 issued by the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution), New Delhi *vide* G. S. R. 213 (E) dated 20th March, 2015, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following Order further to amend Himachal Pradesh Specified Essential Commodities (Regulation of Distribution) Order, 2019 notified *vide* this department Notification No. FDS-A(3)-9/2016, dated 5th March, 2019 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra ordinary) dated 20th March, 2019, namely:—

- 1. Short title, extent and Commencement.—(1) This order may be called the Himachal Pradesh Specified Essential Commodities (Regulation of Distribution) (First Amendment) Order, 2019.
 - (2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
- **2. Amendment of clause 3.**—In clause 3 of the Himachal Pradesh Specified Essential Commodities (Regulation of Distribution) Order, 2019,—
 - (i) for sub-clause (7) the following shall be substituted, namely:—

"Authorization shall be issued for a period of five years and would be valid upto 31st December of the 5th year.".

(ii) for sub-clause (12) the following shall be substituted, namely:—

"The authorization shall be renewed at a time upto 5 years on deposit of authorization fee specified in sub-clause (6).".

By order,

ONKAR CHAND SHARMA, Principal Secretary (FCS&CA).

HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd August, 2019

No. HFW-B(B)1-10/2018-VOL-I-Loose.—In continuation and partial modification of this Department notification No. HFWB(B)1-10/2018, dated 22-06-2019 *vide* which new Resident Doctor Policy, 2019 was notified, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to amend the clause-11 *i.e.* Reservation with immediate effect, in the public interest as under:—

Clause-11. Reservation:

"The reservation roster for all posts shall be applied as per rules applicable in the State of Himachal Pradesh. However, if candidates of reserved category are not available in any category, then the post will be filled up from General category."

By order,

R. D. DHIMAN, *Addl. Chief Secy. (Health)*.

HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd August, 2019

No. HFW-B(B)1-14/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order creation of "Super-specialty Cell of Paediatrics Clinical Immunology & Rheumatology" under Paediatrics Department in Dr. RPGMC Tanda, alongwith following posts of faculty members, with immediate effect, in public interest.—

Sl.	Category	No. of post	Pay Scale
No.		created	
1.	Assistant Professor	02 (Two)	Rs. 37400—67000+GP of Rs. 8900

Both the above mentioned posts shall be filled up as per R&P rules in Medical Education Department, Himachal Pradesh.

This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained *vide* their UO No. 54756241-Fin-F/2019, dated 23-07-2019.

By order,

R. D. DHIMAN, *Addl. Chief Secy. (Health).*

आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 जुलाई, 2019

संख्या आयु0—ए (3)—1/2016.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या0 आयु—ए (3)—9/2010, तारीख 23—3—2013 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक (विशेषज्ञ), वर्ग—I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :——

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.——(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक विभाग, वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक (विशेषज्ञ), वर्ग—I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नित (प्रथम संशोधन) नियम, 2019 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. उपाबन्ध—"क" का संशोधन.——(1) हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक (विशेषज्ञ), वर्ग—I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नित नियम, 2013 के उपाबन्ध—"क" में,
 - (क) स्तम्भ संख्या 7 (क) (i) के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—
 - अनिवार्य अर्हता(एं):——(i) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् / हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम से कम तीन वर्ष की अवधि की काय चिकित्सा या बालरोग या प्रसूति तन्त्र या शल्य तन्त्र या शालाक्य तन्त्र या पंचकर्म या अगद तन्त्र या स्वस्थ्यवृत या योग में एम0 डी० (आयुर्वेद)।"
 - (ख) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-
 - "आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों में से प्रोन्नित द्वारा जो काय चिकित्सा या बालरोग या प्रसूति तन्त्र या शल्य तन्त्र या शालाक्य तन्त्र या पंचकर्म या अगद तन्त्र या स्वस्थ्य वृत या योग की विशेषज्ञता में कम से कम तीन वर्ष की मान्यता प्राप्त एम0 डी० (आयुर्वेद) की अर्हता रखते हों और जिनका एम0 डी० (आयुर्वेद) की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् सम्बन्धित विशेषज्ञता में कम से कम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो; को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो; ऐसा न होने पर राज्य सरकार के अन्य विभागों से समतुल्य पद धारण करने वाले और समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से स्थानान्तरण द्वारा / सैकेण्डमैण्ट के आधार पर।"

परन्तु वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक (विशेषज्ञ) के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित दो बिन्दु पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा:—

बिन्दु संख्या प्रवर्ग

पहला पद प्रोन्नित द्वारा

दूसरा पद सीधी भर्ती द्वारा

टिप्पण.—रोस्टर को प्रत्येक दूसरे बिन्दु के पश्चात् तब तक चक्रानुक्रमित किया जाएगा जब तक कि दोनों प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता है। तत्पश्चात्, रिक्ति उसी प्रवर्ग से भरी जाएगी जिससे पद रिक्त हुआ हो।

(I) परन्तु प्रोन्नित के प्रयोजन के लिए प्रत्यके कर्मचारी को जनजातीय / दुर्गम / किटन क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपरोक्त परन्तुक (1), दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती / स्थानान्तरण के सिवाय, उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय / दुर्गम / कठिन क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—I.——उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय दुर्गम/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों/ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अविध या प्रशासनिक अत्यावश्कताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अविध अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण—II.——उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति
- 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमीर उप-मण्डल
- 3. रोहडू उप–मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र
- 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और काशापाट
- 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना
- 6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र
- 7. जिला किन्नौर
- सिरमौर जिला में, उप–तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़–भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।

9. मण्डी जिला में, करसोग तहसील का खनयोल—बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप—तहसील के गाड़ा गुशैणी, मिटयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह—भडवानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चिउणी, कालीपार, मानगढ़, थाच—बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण—III.—-उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ्/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

- (i) उप-मण्डल / तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान।
- (ii) राज्य मुख्यायलय और जिला मुख्यायलय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
- (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।
- (II) प्रोन्नित के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नित के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नित भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:
 - (i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई किनष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सिहत, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे विरष्ठ सभी व्यक्ति अपने—अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय किनष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्निति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नित किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे किनष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नित के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत किनष्ट पदधारी प्रोन्नित के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ट अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपात्काल के दौरान सशस्त्र बल में कार्यग्रहण किया था और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन—टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स—सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश नॉन टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नित, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

आदेश द्वारा.

हस्ताक्षरित / – अतिरिक्त मुख्य सचिव (आयुर्वेद)।

[Authoritative English text of this Department's Notification No. Ayur-A (3)-1/2016, dated 26-07-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

AYURVEDA DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 26th July, 2019

- **No. Ayur-A(3)-1/2016.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 to the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh. Public Service Commission, is pleased further to amend the Recruitment and Promotion Rules for the post of Senior Ayurvedic Chikitsak (Specialist), Class-I (Gazetted), in the Department of Ayurveda Himachal Pradesh notified *vide* this Department's Notification No. Ayur-A(3)-9/2010 dated 23-3-2013, namely:—
- 1. Short title & Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Ayurveda, Senior Ayurvedic Chikitsak (Specialist), Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion (1st Amendment) Rules, 2019.
 - (2) These rules shall come into force from the date of publication in the official Gazette.
- **2. Amendment of Annexure-A**.—In Annexure 'A' to the Himachal Pradesh, Department of Ayurveda, Senior Ayurvedic Chikitsak (Specialist), Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2013,
 - (a) For the existing provision against column No. 7(a)(i) the following shall be substituted, namely:—
 - **"Essential qualification(s).**—(i) M. D. (Ayurveda) of at least 3 (three) years duration in Kayachikitsa or Balroga or Prasuti Tantra or Shalaya Tantra or Shalkya Tantra or Panchkarma or Agad Tantra or Swasthvritta or Yoga from an Institution recognized by Central Council of Indian Medicines/Government of Himachal Pradesh.";
 - (b) For the existing provisions against Col. No.11, the following shall be substituted, namely:—
 - "By promotion from amongst the Ayurvedic Medical Officers having a recognized M. D. (Ayurveda) of at least three years duration in the specialty of Kayachikitsa or Balroga or Prasuti Tantra or Shalya Tantra or Shalkya Tantra or Panchkarma or Swasthvritta or Yoga or Agad Tantra with at least five years regular service or regular combined with continuous *adhoc* service, if any, in the concerned specialty after

acquiring the concerned M. D. (Ayurveda) degree failing which by transfer/on secondment basis from amongst the incumbents holding equivalent posts and working in the identical pay scale from other Departments of State Government."

Provided that for filling up the posts of Senior Ayurvedic Chikitsak (Specialist), the following two point posts based roster shall be followed:—

Point No.	<u>Category</u>	
1st post	Promotee	
2nd post	Direct recruit	

Note.—The roster will be rotated after every 2nd point till the representation to both categories is achieved by the given percentage. Thereafter, the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post.

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such area;

Provided further that the proviso (I) *supra* shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I.—For the purpose of proviso (I) *supra* the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation-II.—For the purpose of proviso I *supra* the Tribal/Difficult areas shall be as under:—

- 1. District Lahaul & Spiti
- 2. Pangi and Bharmaur Sub-Division of Chamba District
- 3. Dodra kawar area of Rohru Sub-Division
- 4. Pandrah Bis Pargana, Munish darkali and Gram Panchayat Kashapat of Ramur Tehsil of District Shimla.
- 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District
- 6. Bara Bhangal Area of Bainjath Sub-Division of Kangra District
- 7. District Kinnaur
- 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-Tehsil Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shilai Tehsil in Sirmaur District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chuni, Kalipar, Mangarh, Thach-bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi District.

Explanation-III.—For the purpose of proviso (I) *supra* the Remote/Rural Areas shall be as under:

- (i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter.
- (ii) All stations beyond the radius of 15 Kms from State Headquarter and District headquarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
- (iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.
- (II) In all cases of promotion, the continuous *adhoc* service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to condition that the *adhoc* appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules:
 - (i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on *adhoc* basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration,

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less, Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be exserviceman who have joined Armed Force during the period of Emergency and recruited under the provisions of rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provision of rule-3 of Ex-serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *adhoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into

account towards the length of service, if the *adhoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:

Provided that *inter-se*-seniority as a result of confirmation after taking into account, *adhoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged."

By order
Sd/ Additional Chief Secretary (Ayurveda)

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd August, 2019

No. Pub-B(2)-1/2014-I.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee is pleased to promote the following Assistant Public Relations Officers, Class-II (Non-Gazetted) to the post of District Public Relations Officer/Information Officer, Class-I (Gazetted), in the pay band of ₹ 10300—34800 + 5400 Grade Pay, in Information and Public Relations Department on regular basis with immediate effect:—

- Sh. Sanjay Sood, APRO
- Sh. Kehar Singh, APRO
- 2. The aforesaid Officers will be on probation for a period of two years in the first instance from the date of their joining the post. They shall also exercise option for fixation of pay under the provisions of FR-22, within a period of one month from the date of issue of these orders.
- 3. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order their posting on promotion as District Public Relations Officers/Information Officers as under:—

Sl. No.	Name	Place of Posting	Remarks
1.	Sh. Sanjay Sood	DPRO Shimla	Against Vacancy
2.	Sh. Kehar Singh	DPRO Bilaspur	Against Vacancy

They are directed to submit their joining report to this office, through proper channel, immediately.

By order,

SHRIKANT BALDI, Addl. Chief Secretary (I. & P.R.).

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

OFFICE ORDER

Shimla-171 002, the 23rd August, 2019

No. Pub-B(2)-9/2017-I-Loose.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee the following Official of the Information and Public Relations Department is placed as Assistant Public Relations Officer (Class-II, Non-Gazetted) in the pay band of ₹ 10300—34800 + ₹ 4200 Grade Pay, on regular basis with immediate effect:—

- Sh. Amarnath, Senior Assistant
- 2. The above official shall remain on probation for a period of two years. These orders shall be effective from date of joining the post.
- 3. The above official is directed to join immediately and send his joining report to this Department through proper channel. The posting orders will be issued separately.
- 4. The above official shall exercise option under the provisions of FR-22 read with Rule-11 of Himachal Pradesh Civil Services Pay (Revised) Rules, 2009, within a period of one month from the date of issue of this order.

By order,

SHRIKANT BALDI, *Addl. Chief Secretary (I&PR).*

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि–पत्र

दिनांक, 22 अगस्त, 2019

संख्या आई०पी०एच०—बी(एच)1—11/2015—कांगड़ा.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या आई० पी० एच०—बी(एच)1—11/2015—कांगड़ा, दिनांक 14—08—2018, जो फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करने बारे जारी की गई है, जारी करने की तिथि को दिनांक 14—08—2018 के स्थान पर दिनांक 14—08—2019 पढ़ा जाए।

आदेश द्वारा.

हस्ताक्षरित / – (देव दत्त शर्मा), विशेष सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

ब अदालत श्री सुशील कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 14 / तह0 / 2019 तारीख पेशी : 31-08-2019

शीर्षक : शिव लाल बनाम आम जनता

विषय.——प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी शिव लाल पुत्र श्री दीवान चन्द, निवासी गांव तोकी, डाकघर छन्नी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी की माता श्रीमती कौशल्या देवी की मृत्यु 17—05—2008 को गांव तोकी, डाकघर छन्नी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुई थी। परन्तु प्रार्थी ने अपनी माता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत तोकी के अभिलेख में दर्ज न करवाई हुई है यह कि अब प्रार्थी अपनी माता कौशल्या देवी की मृत्यु तिथि 17—05—2008 को ग्राम पंचायत तोकी के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय से सम्बन्धित एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 31–08–2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज दें। कोई एतराज न होने की सूरत में मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता / कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : / इ०एम० / २०१९ अगली तारीख पेशी : 12-09-2019

रक्षा देवी व अंकुर शर्मा

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रार्थना—पत्र नियम 8(4) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थीगण रक्षा देवी व अंकुर शर्मा पुत्र स्व० श्री प्रेम राज, निवासी सुरड़वां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि०प्र० ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगणों की शादी 18—04—2018 को गांव सुरड़वां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि० प्र० में हुई है लेकिन अज्ञानतावश उक्त प्रार्थीगण का विवाह ग्राम पंचायत सुरड़वां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के अभिलेख में या अन्यत्र स्थान पर पंजीकृत न करवाया जा सका है। विवाह तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थीगण रक्षा देवी व अंकुर शर्मा पुत्र स्व0 श्री प्रेम राज, निवासी नई सुरड़वां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के विवाह को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 12—09—2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में विवाह को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — सहायक समाहर्ता / कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, इंदौरा, जिला कांगड़ा (हिप्र०)।

ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुक्दमा नं0 :

तारीख पेशी : 24-09-2019

Smt. Sudesh Sabharwal w/o Late Sh. Ajay Kumar Sabharwal, r/o Narwana, P.O. Cantt. Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 40-41 हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम.

नोटिस बनाम आम जनता।

Application under section 40-41 of the registration Act for the Registration of will Dated 20-01-2015 of deceased Kamla Devi w/o Late Sh. Inderjit, r/o Nartwana, P.O.Yol Cantt. Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra 08-08-2019 दिनांक इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 24–09–2019 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक Registration of will पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 08-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —

तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश।

In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu (H.P.)

Ravinder Singh . . . Applicant.

Versus

General Public ... Respondent.

Subject.—Notice under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Ravinder Singh s/o Sh. Jia Lal, resident of V.P.O. Deuri, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth event of his son born on 10-03-2010 has not been entered in the record of Gram Panchayat Namhong.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relative have any objection regarding entering birth event of the son of the applicant born on 10-03-2010 in the Panchayat record of Gram Panchayat Namhong, he/she/they may file his /her/their objection on or before 15-09-2019 before this court. In case of non-filing of any objection, the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 14th day of August, 2019.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate, Anni, District Kullu (H.P.).

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्री नौमी राम पुत्र श्री भागी राम, गांव छिकानाला, डाकघर पिपलागे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—–प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नौमी राम पुत्र श्री भागी राम, गांव छिकानाला, डाकघर पिपलागे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र दिया है कि उसकी दादी स्व0 श्रीमती बेगमु पत्नी स्व0 श्री जगतु की मृत्यु दिनांक 20—04—1980 को स्थान गांव छिकानाला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में हुई है परन्तु उनकी मृत्यु की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत नरेश, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को स्व0 श्रीमती बेगमु पत्नी स्व0 श्री जगतु की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17–09–2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री खेम राज पुत्र श्री टिकम राम, निवासी गांव पटौंला, डाकघर थाटीवीड, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हिल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पत्नी स्व0 श्रीमती संगीता ठाकुर की मृत्यु तिथि 26—05—2017 है, जो कि ग्राम पंचायत थाटीवीड, तहसील बन्जार के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी स्व0 श्रीमती संगीता ठाकुर की मृत्यु तिथि 26—05—2017 को ग्राम पंचायत थाटीवीड के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपित हो तो वह दिनांक 13—09—2019 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपित दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 13-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्रीमती रेशमा देवी पुत्री श्री गंगा, निवासी गांव व डाकघर पुजाली, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

किस्म मुकद्दमा.--राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्रीमती रेशमा देवी पुत्री श्री गंगा, निवासी गांव व डाकघर पुजाली, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 हाल पत्नी श्री जवाहर लाल, निवासी गांव सुरागी, डाकघर खलवाहण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने बमय शपथ—पत्र इस कार्यालय / न्यायालय में प्रार्थना—पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थिन का नाम राजस्व रिकार्ड में रोहलू लिखा गया है जबिक प्रार्थिन का नाम रेशमा देवी उर्फ रोहलू है जो कि सही है। इसे दुरुस्त करवाना चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को रोहलू की जगह रेशमा देवी उर्फ रोहलू करने बारे कोई आपित हो तो वह दिनांक 13–09–2019 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपित दर्ज करें, तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 13-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि० प्र0

श्री डेविड सन पुत्र श्री मंगल सिंह, निवासी गांव थुआरी (नालावन) डाकघर थाटीवीड, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

किरम मुकद्दमा.—-राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्री डेविड सन पुत्र श्री मंगल सिंह, निवासी गांव थुआरी (नालावन) डाकघर थाटीवीड, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने बमय शपथ-पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में देवी सरन लिखा गया है जोकि गलत है। जबकि प्रार्थी का नाम डेविड सन है जो कि सही है। इसे दुरुस्त करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में देवी सरन की जगह डेविड सन करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 13–09–2019 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करें, तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 13-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह, निवासी गांव टील, डाकघर बच्छूट, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

श्रीमती नारा देवी पुत्री श्री टेक राम, निवासी गांव मनहार, डाकघर गुशैणी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत।

प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हिन्फया इस आशय से गुजारा है कि उन्होंने दिनांक 23—08—1999 को स्थान टील, डाकघर बच्छूट, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू में अपनी शादी हसव रिवाज मुल्क व कौम के आपस में कर ली है। जो कि गलती से ग्राम पंचायत टील, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू के अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं और अब वे अपनी शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत टील के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह, व श्रीमती नारा देवी पुत्री श्री टेक राम की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत टील के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपित्त हो तो वह दिनांक 13—09—2019 तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपित्त दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हि0 प्र0 विवाह रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत शादी की तिथि 23—08—1999 के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 13-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री भूपेन्द्र भारती पुत्र श्री तोता राम, निवासी गांव साधुरीथुआरी, डाकघर मंगलौर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री तेज राम, निवासी गांव खलाओं, डाकघर व तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत।

प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उन्होंने दिनांक 28—04—2017 को स्थान साधुरीथुआरी, डाकघर मंगलौर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू में अपनी शादी हसव रिवाज मुल्क व कौम के आपस में कर ली है। जो कि गलती से ग्राम पंचायत मंगलौर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू के अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं और अब वे अपनी शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत मंगलौर के अभिलेख में करवाना चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण श्री भूपेन्द्र भारती पुत्र श्री तोता राम व श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री तेज राम की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत बाहू के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 13–09–2019 तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हि0 प्र0 विवाह रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत शादी की तिथि 28–04–1999 के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 13-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री कुर्म दत पुत्र श्री हरि चन्द, निवासी गांव जरवाल, डाकघर पनिहार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत।

प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हिल्फया इस आशय से गुजारा है कि उन्होंने दिनांक 12—04—2014 को शादी हसव रिवाज मुल्क व कौम के श्रीमती सरला पुत्री श्री लेसरु राम, निवासी गांव देहुरी, डाकघर बनोगी, उप—तहसील सैंज, जिला कुल्लू से कर ली है जोकि गलती से ग्राम पंचायत गोपालपुर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू के अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं और अब वे अपनी शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत गोपालपुर के अभिलेख में करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री कुर्म दत पुत्र श्री हिर चन्द की शादी श्रीमती सरला पुत्री श्री लेसरु राम से होने का इन्द्राज ग्राम पंचायत गोपालपुर के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपित हो तो वह दिनांक 13–09–2019 तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपित दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख के किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हि0 प्र0 विवाह रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत शादी की तिथि 12–04–2014 को इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 13-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

समक्ष प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 06-09-2019

श्री रमेश चन्द पुत्र भलखू राम, निवासी डक सिहारल, डाकघर त्रामट, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

ं फरीकदोयम।

श्री रमेश चन्द पुत्र भलखू राम, निवासी डक सिहारल, डाकघर त्रामट, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथ—पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम रमेश चन्द है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल सिहारल में रमेश लाल दर्ज हो चुका है जो कि गलत है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 06–09–2019 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 14-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

समक्ष प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 06-09-2019

श्री सुभाष सिंह पुत्र श्री नरायण सिंह, निवासी गांव व डाकघर गोलवां, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)। प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

ं फरीकदोयम्।

श्री सुभाष सिंह पुत्र श्री नरायण सिंह, निवासी गांव व डाकघर गोलवां, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने शपथ—पत्र सिंहत आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम सुभाष सिंह है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल गोलवां में सुभाष चन्द दर्ज हो चुका है जो कि गलत है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 06–09–2019 को

10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 14-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

समक्ष प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि० प्र0)

तारीख पेशी : 24-09-2019

श्री दीप चन्द पुत्र श्री घान्था राम, निवासी तनसाल, डाकघर बाग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

ं फरीकदोयम।

श्री दीप चन्द पुत्र श्री घान्था राम, निवासी तनसाल, डाकघर बाग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथ—पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम दीप चन्द है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल तनसाल में दीप कुमार दर्ज हो चुका है जो कि गलत है। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 24–09–2019 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 14-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत जगदीश लाल, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 09

तारीख मजरूआ : 16-08-2019

तारीख पेशी : 20-09-2019

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी गांव व डाकघर टौरखोला, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) आम जनता

ं प्रत्यार्थी।

अधीन धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन–पत्र।

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री मेहर चन्द, निवासी गांव व डाकघर टौरखोला, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा अपने पिता श्री मेहर चन्द पुत्र श्री ठिनू के मुख्तयारे खास समस्त औपचारिकताओं सिहत इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन—पत्र में उल्लेख किया है कि उसके पिता का वास्तविक नाम मेहर चन्द है जबिक राजस्व अभिलेख महाल टौरखोला में उसके पिता का नाम चन्द दर्ज है जो कि गलत है। इसलिए प्रार्थी ने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख महाल टौरखोला में दरूस्ती की जाकर उसके पिता का नाम चन्द उर्फ मेहर चन्द दर्ज किया जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस नोटिस द्वारा जन साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 20—09—2019 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर—हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थी के आवेदन—पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा

आज दिनांक 17 अगस्त. 2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

जगदीश लाल, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

ब अदालत जगदीश लाल, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 08

तारीख मजरूआ : 16-08-2019

तारीख पेशी : 20-09-2019

श्री मिलाप चन्द धीमान पुत्र स्व0 श्री धर्म चन्द, निवासी गांव लसराणा, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

ं प्रत्यार्थी ।

अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन-पत्र।

श्री मिलाप चन्द धीमान पुत्र स्व० श्री धर्म चन्द, निवासी गांव लसराणा, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि० प्र०) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सिहत इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन—पत्र में उल्लेख किया है उसका वास्तविक नाम मिलाप चन्द धीमान है जबिक राजस्व अभिलेख महाल लसराणा में उसका नाम मिलाप चन्द दर्ज है जो कि गलत है। इसलिए प्रार्थी ने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख महाल लसराणा में दुक्तस्ती की जाकर उसका नाम मिलाप चन्द उर्फ मिलाप चन्द धीमान दर्ज किया जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जन साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर / एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 20—09—2019 को

प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर—हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थी के आवेदन—पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा

आज दिनांक 17 अगस्त, 2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

जगदीश लाल.

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,

सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

समक्ष श्री रमेश चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0

मिसल नं0 : 4 / 2019

तारीख संस्थापन : 23-08-2019

तारीख पेशी : 23-09-2019

कुमारी शैलजा पुत्री ओम प्रकाश भारद्वाज, निवासी गांव मतेवग, डाकघर व तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

ं प्रत्यार्थी ।

प्रार्थना—पत्र परगना व तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 बराए राजस्व रिकार्ड जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

कुमारी शैलजा पुत्री ओम प्रकाश भारद्वाज, निवासी गांव मतेवग, डाकघर व तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसका नाम पंचायत कुमारसैन के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज न है। जबकि उसका जन्म दिनांक 08—08—1994 को हुआ है। अतः ग्राम पंचायत कुमारसैन में उनका नाम दर्ज करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः जनता आम व खास को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त कुमारी शैलजा का नाम व जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे आपत्ति / एतराज हो तो वह दिनांक 23—09—2019 को प्रातः 10.00 बजे तक असालतन / वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह आदेश आज दिनांक 23-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री रमेश चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)

वाद संख्या : 12 / 2019

तारीख दायर : 24-05-2019

तारीख पेशी : 20—09—2019

श्री उमेश कुमार पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर भुट्टी, उप—तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) बनाम

आम जनता

ं प्रतिवादी।

दरख्वास्त दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख खाता/खतौनी नं0 212/465 ता 469, जमाबन्दी वर्ष 2016—17 महाल भुट्टी, उप—तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0 प्र0।

श्री उमेश कुमार पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर भुट्टी, उप—तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त दुरुस्ती नाम गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम मोहर सिंह पुत्र जटू है जो महाल भुट्टी, पटवार वृत्त भुट्टी, उप—तहसील कोटगढ़, जिला शिमला, हि0प्र0 के राजस्व अभिलेख 212/465 ता 469, जमाबन्दी वर्ष 2016—17 में गुजर लाल पुत्र जटू दर्ज है जो गलत दर्ज है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम गुजर लाल के स्थान पर मोहर सिंह उपनाम गुजर लाल करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन के बाद दिनांक 20—09—2019 तक असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा अदालत से उपरोक्त के नाम दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।